# निषिद्ध व्यावसायिक अभ्यास निति

================================================================

## *बर्कशायर की सहायक कंपनियों के लिए प्रस्तावना और दिशा-निर्देश:*

*Berkshire Hathaway Inc ("Berkshire") द्वारा यह अनुपालन नीति तैयार की गई है ताकि वह अपनी सहायक कंपनियों को और उन कंपनियों के अपने-अपने कर्मचारियों को भ्रष्टाचार विरोधी/घूसखोरी विरोधी, आर्थिक एवं व्यापार प्रतिबंधों, आयात-निर्यात अनुपालन के मुद्दों, मनी लॉन्डरिंग (काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया) विरोधी और मध्यस्थ प्रबंधन एवं नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों से जुड़े मुद्दों पर लिखित दिशा-निर्देश प्रदान कर सके। यह प्रत्याशा की जाती है कि प्रत्येक सहायक कंपनी अपनी-अपनी लिखित नीतियों, प्रक्रियाओं या आचार संहिता में इन आवश्यकताओं को अनुकूलित, कार्यान्वित एवं शामिल करेगी। Berkshire की प्रत्येक सहायक को अपने वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य व्यक्तियों को नीति वितरित की जाएगी जो जोखिम अधीन क्षेत्रों को प्रबंधित करते हैं या जो इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए अनुपालन जोखिमों का सामना करने के लिए संभावित होते हैं (जिन क्षेत्रों में वह सहायक कंपनी अपने कार्यों का संचालन करती है, वहां की लागू भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा) । Berkshire की प्रत्येक सहायक कंपनी को कंपनी के सभी स्तरों पर नैतिकता और अनुपालन की संस्कृति को विकसित करने के लिए निर्देशित किया गया है।*

*प्रतिष्ठा बर्कशायर की सबसे मूल्यवान संपदाओं में से एक है और इसकी रक्षा करना सभी सहायक कंपनियों की साझी जिम्मेदारी है। अखंडता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने में सभी सहायक कंपनियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब है लगातार सही चीज़ करना – तब भी जब कोई न देख रहा हो – और सुनिश्चित करना कि सभी नीतियों, कार्य पद्धतियों एवं निर्णयों में नैतिक आचरण, कानूनी अनुपालन, और स्टेकहोल्डरों के साथ दीर्घ-कालिक भरोसे के प्रति बर्कशायर की प्रतिबद्धता को दर्शाया जाए।*

*इस नीति का उद्देश्य अधिक प्रतिबंधात्मक, विस्तृत या विशिष्ट नीतियों की जगह लेना नहीं है, जो बर्कशायर में पहले से ही स्थापित हो सकती हैं। इस नीति के अनुभाग IVऔर V के निर्देशों में या इस नीति के अनुभाग III द्वारा अनुमोदित अनुसार दर्शाए गए विदेशी नियमों का अनुपालन करने के लिए संशोधन की सीमा को छोड़कर, यह नीति न्यूनतम मानक निर्धारित करती है जिसका बर्कशायर हैथवे की सभी सहायक कंपनियों को पालन करना होगा।*

*प्रत्येक सहायक कंपनी किन्हीं भी ऐसे कर्मियों और किसी भी एजेंट, कन्सल्टेंट, प्रतिनिधि, सेल्स एजेंट, पुनःविक्रेता, संयुक्त उद्यम साझेदार, सीमा शुल्क/आयात ब्रोकर, माल ढुलाई प्रेषक, कॉन्ट्रैक्टर या अन्य तृतीय पक्ष ("मध्यस्थ") और उनके किन्हीं भी सहायकों को उसके अनुपालन कार्यक्रम, एवं इस नीति के बारे में प्रभावित रूप से प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त संसाधन समर्पित करेगी जो बर्कशायद की ओर से या उसके लाभ के लिए बिजनेस का संचालन कर रहे हैं और साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहायक कंपनी के कर्मियों एवं मध्यस्थ लोगों के पास सहायक कंपनी की भ्रष्टाचार-विरोधी और प्रतिबंध अनुपालन नीतियों तक पहुँच हो। प्रत्येक सहायक कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि नीतियां नियमित आधार पर अपडेट की जाती हैं और जिनको अनुपालन कार्यक्रमों का अनुपालन करने का कार्यभार दिया गया है उनके पास पर्याप्त संसाधन, स्वायत्तता और सहायक कंपनी के संचालन अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रबंधकीय वर्ग तक प्रत्यक्ष पहुंच प्राप्त है।*

*बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी को सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारियों या मध्यस्थों से जुड़ी कोई भी कदाचार संबंधी चिंताओं की सामयिक और पूर्ण रूप से जांच की जाए और अगर उचित हो तो बर्कशायर को तुरंत उसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए एवं मूल कारण के विश्लेषण के बाद, उचित कदम उठाए जाने चाहिए जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल है। सहायक कंपनियों को ऐसी नीतियों का कार्यान्वयन करना चाहिए, जो कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, अनुपालन संबंधी ऑडिटों एवं जांच से जुड़ी कार्रवाइयों के लिए ईमेलों, टेक्स्ट्स, इंस्टेंट मैसेज (जिसमें व्हॉट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप्स शामिल हैं) एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रह किए गए दस्तावेजों को संग्रह करने एवं उनकी जांच करने की अनुमति दें। इन नीतियों में इन प्रकार की जांचों के लिए पहले से कर्मचारी की सहमति*

*शामिल होनी चाहिए और इसके अंतर्गत सहायक कंपनी, बर्कशायर, बाहरी परामर्शदाता या उनकी ओर से काम करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों को पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।*

============================================================
===

यह बर्कशायर और इसकी सहायक कंपनियों की एक नीति है जो कि उन सभी कानूनों और यह उनकी सभी गतिविधियों और संचालनों पर लागू नियमों का पालन करती है।

यह निषिद्ध व्यावसायिक अभ्यास नीति ("नीति") बर्कशायर के सभी अधिकारियों, निर्देशकों और कर्मचारियों और इसके सभी सहायक कर्मचारियों पर लागू होती है। जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके, प्रत्येक सहायक कंपनी मध्यवर्तियों को इस नीति की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को इस नीति का अनुपालन करना होगा, सभी लागू कानूनों और नियमों का पालन करना होगा, और किसी भी कार्य को करने या अधिकृत करने के लिए बहुत सावधानी से काम लेगा जो कि अवैध आचरण या अन्य अव्यवस्था भ ी उत्पन्न कर सकता है। इस नीति का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और जिसमें उनका नियोजन से निष्कासन भी शामिल हो सकता है। **बर्कशायर और उसकी सहायक कंपनियां ऐसे किसी भी अभ्यास की बीड़ा नहीं उठती है, अधिकृत या बर्दाश्त नहीं करती है जो इस नीति का अनुपालन नहीं करता है।**

अगर इस नीति के बारे में आपके कोई सवाल हैं**,** तो अपने कंपनी के नामित अनुपालन अधिकारी से संपर्क करें या बर्कशायर के मुख्य वित्तीय अधिकारी**,** आंतरिक ऑडिट के डाइरेक्टर या नैतिकता एवं अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक से संपर्क करें।

**I. कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षण**

***वितरण।*** बर्कशायर की सहायक कंपनियों के जनरल मैनेजरों पर यह दायित्व है कि अपने कर्तव्य के क्षेत्रों में वे इस नीति के कार्यान्वयन एवं अनुपालन को सुनिश्चित करें, जिसके अंतर्गत उन्हें रिपोर्ट करने वाले वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के सदस्यों के बीच इस नीति का वितरण होना अनिवार्य है और साथ ही यह नीति उन अन्य लोगों को भी दी जानी चाहिए जो इस दस्तावेज में चर्चित जोखिम के क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, औए इसमें हर वह कर्मचारी, एजेंट या प्रबंधक भी शामिल है जो संभवतः सरकारी अधिकारियों से बात-चीत, इंटरैक्ट कर सकते हैं या उनके साथ जिनका व्यावसायिक लेन-देन हो सकता है। बर्कशायर की सहायक कंपनियों को अपने सभी कर्मचारियों के लिए उनकी मातृभाषा में अनुपालन नीतियों की प्रतियों को उपलब्ध करवाना चाहिए। साथ ही, बर्कशायर की सहायक कंपनियों को उचित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना चाहिए एवं अनुपालन संबंधी जोखिमों की निगरानी करने और उन्हें समझने के लिए डेटा विश्लेषिकी का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए। बर्कशायर की सहायक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुपालन कार्यक्रम के संचालन की ज़िम्मेदारी वाले अनुपालन कर्मियों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण मिले ताकि वे अपनी भूमिकाओं को प्रभावी रूप से निभा सकें।

***प्रशिक्षण।*** इस नीति को और साथ में कोई भी संबंधित या अधिक मज़बूत सहायक नीतियों को कर्मचारी मैनुअल या कर्मचारियों की नीतियों को प्रदर्शित किए जाने वाले स्थान में शामिल किया जाना चाहिए। वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग को यह प्रदान करना भी ज़रूरी है और साथ ही इसे अंग्रेज़ी में और लागू होने वाली स्थानीय भाषाओं में सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। उन सभी प्रबंधकों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जो सरकारी अधिकारियों के संपर्क में आते हैं और जो व्यापार अनुपालन को प्रभावित करते हैं एवं इसमें इस नीति के अंतर्गत मौजूद क्षेत्रों की समीक्षा और उनका स्पष्टीकरण प्रदान करना भी आवश्यक है – मुख्य रूप से भ्रष्टाचार

विरोधी, प्रतिबंध, निर्यात नियंत्रण, बॉयकाट विरोधी और कस्टम्स अनुपालन। इस प्रशिक्षण को निर्धारित समयावधियों में प्रदान करना ज़रूरी है और इसे दर्शक की भूमिका, विशेषज्ञता एवं जोखिम की सीमा के अनुरूप ढालना आवश्यक है और साथ ही जहाँ उचित हो वहाँ इसे दर्शकों की स्थानीय भाषा में संचालित किया जाना चाहिए। जिन मध्यस्थों के सरकारी अधिकारियों के संपर्क में आने की संभावना है, उन्हें या तो उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए जाने चाहिए या जोखिम आधारित पद्धति के अनुसार उन्हें सहायक कंपनी से प्रशिक्षण मिलना चाहिए, जिसमें निर्धारित समयावधियों में जानकारी को फिर से प्रदान करना शामिल है। प्रशिक्षण के दौरान प्रश्न पूछने की अनुमति होनी चाहिए (अगर लाइव हो), इनमें पिछले अनुपालन से जुड़ी घटनाओं को संबोधित किया जाना चाहिए, और उद्योग में साथियों से मिली सीख को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सहायक कंपनियों को अवश्य ही नियमित रूप से अपने प्रशिक्षण की प्रभाविता का मूल्यांकन करना होगा ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अनुपालन के मानदंडों का पालन करने के लिए कर्मियों के पास सही साधन और ज्ञान हो।

***आवधिक जोखिम आकलन।*** बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी को नियमित रूप से अपनी व्यक्तिगत संचालन एवं अनुपालन संबंधी जोखिमों का आकलन और समीक्षा करनी चाहिए एवं उन्हें एक वार्षिक जोखिम आकलन के तौर पर दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें इस नीति में चर्चित एवं सहायक कंपनी पर लागू होने वाले अनुपालन संबंधी जोखिम के क्षेत्रों का उल्लेख हो। सहायक कंपनी के जोखिम प्रोफाइल में होने वाले किन्हीं भी परिवर्तनों के अनुसार सहायक कंपनी को जोखिम आकलन को अपडेट करना चाहिए, एवं जैसे उचित हो वैसे अतिरिक्त नीतियों एवं पद्धतियों को अपनाना होगा ताकि वह एक प्रभावी तौर पर प्रस्तुत अनुपालन नीति को बरकरार रख सके जिसे ख़ास तौर पर सहायक कंपनी के सम्मुख खड़े अनुपालन संबंधी जोखिमों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। प्रत्येक सहायक कंपनी से यह आवश्यकता है कि उसके जोखिम आकलन की जांच एवं उसके अनुपालन कार्यक्रम (जिसमें अनुपालन कार्यक्रम के उल्लंघन शामिल हैं) के संचालन के इतिहास के आधार पर उसे इस नीति के सहित अपने अनुपालन नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संसाधन डालने होंगें एवं साथ ही उनसे यह भी आवश्यकता है कि वे एक उच्च-स्तरीय एग़्ज़ीक्यूटिव को नियुक्त करेंगे जिन पर उनके अनुपालन कार्यक्रम के संचालन का दायित्व होगा।
लागू होने वाले कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जोखिम के मूल्यांकन के दौरान उभरते हुए जोखिमों के प्रबंधन पर विचार करना आवश्यक है। ख़ास तौर पर, बर्कशायर की सहायक कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके पास उन बाह्य जोखिमों को पहचानने और उनका प्रबंधन करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए जो संभवतः कंपनी की कानून अनुपालन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ("एआई") जैसी नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से जुड़े जोखिम शामिल हैं।

साथ ही बर्कशायर की सहायक कंपनियों से यह आवश्यकता है कि वे आवधिक तौर पर अपने अनुपालन कार्यक्रम की प्रभाविता का आकलन एवं निरीक्षण करेंगे, जिसमें उन घटनाओं को जांचना शामिल है जहाँ अनुपालन नीतियों के उल्लंघन की जानकारी मिली है, और जहाँ संभव हो वहाँ भविष्य में इन तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए सुधारों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। अनुपालन के आकलनों एवं परीक्षण में जहाँ संभव हो वहाँ डेटा विश्लेषिकी क्षमताओं को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही प्रत्येक सहायक कंपनी को उनके उद्योग या भौगोलिक क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से ज्ञात अपने समकक्ष लोगों की भ्रष्टाचार-विरोधी, व्यापार प्रतिबंध अनुपालन, अनुपालन पद्धतियों और नीतियों से जुड़ी सफलताओं एवं विफलताओं की जानकारी को इस आवधिक आकलन में शामिल करना चाहिए। इस आकलन के निष्पादन में सहायक कंपनियों को या उनके बाह्य परामर्शदाताओं को अमेरिकी न्याय विभाग के कॉर्पोरेट अनुपालन कार्यक्रमों के मूल्यांकन के मार्गदर्शन दस्तावेज पर ध्यान देना चाहिए एवं साथ ही इन तीन मौलिक प्रश्नों के दायरे में भी कार्यक्रम का मूल्यांकन करना चाहिए:

- क्या अनुपालन कार्यक्रम को सही तरह से तैयार किया गया है?
- क्या अनुपालन कार्यक्रम को पर्याप्त संसाधन दिए गए हैं एवं क्या उसे प्रभावी रूप से काम करने के लिए सशक्त बनाया गया है?
- क्या अनुपालन कार्यक्रम वास्तव में काम करता है?

https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download

***अनुशासिक कार्रवाई।*** चूंकि बर्कशायर कानून एवं इस नीति के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है इसलिए, **इस नीति का अनुपालन करने में किसी भी बर्कशायर सहायक कंपनी के कर्मी की विफलता के वजह से अनुशासिक कार्रवाई एवं यहाँ तक कि नौकरी से बरख़ास्तगी भी हो सकती है।**
इस नीति का उल्लंघन करने वाले कर्मचारी के प्रबंधक के विरुद्ध भी अनुशासिक कार्रवाई की जा सकती है अगर प्रबंधक उस कर्मचारी के पर्यवेक्षण में विफल हुआ हो या उसे पता हो कि कर्मचारी किसी ऐसे आचरण में शामिल है जो इस नीति का उल्लंघन करता है एवं यह जानते हुए भी वह इस प्रकार के आचरण को बंद करने या रोकने में विफल होता है। बर्कशायर की सहायक कंपनियों के पास ऐसी स्थापित पद्धतियां होनी चाहिए जिनसे अगर इस नीति के उल्लंघन की बात को साबित किया जाए तो वे कानून द्वारा अनुमत सीमा तक प्रतिपूर्ति को कम कर सकें या उसे वापस ले सकें। उल्लंघन शायद प्रत्यक्ष हो सकते हैं, जैसे कि ज्ञात उल्लंघनों की सूचना ना देना या प्रासंगिक जानकारी का खुलासा ना करना।

## II रिपोर्टिंग और जांच पड़ताल

***चिंताओं को कैसे रिपोर्ट करें।*** बर्कशायर की सहायक कंपनी का कोई भी कर्मचारी, जिसका यह प्रश्न है कि क्या एक आचरण अवैध हो सकता है या इसमें कोई अनैतिक या अनुचित गतिविधि शामिल है या इस नीति का उल्लंघन करता है, तो उसे तुरंत अपनी उन चिंताओं के बारे में सूचित करना चाहिए। बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी, या बर्कशायर कंपनियों के एक समूह की स्थिति में, बर्कशायर की एक सहायक कंपनी जो इस प्रकार के समूह की "मूल" कंपनी है, इस प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त करने और उनकी जांच करने और इस नीति को लागू करने के लिए एक अनुपालन अधिकारी को नियुक्त करेगी। कर्मचारी अपनी चिंताओं के बारे में अपने पर्यवेक्षकों या प्रबंधकों को भी सूचित कर सकते हैं। यदि स्थानीय कानून द्वारा अनुमोदित हो, तो बर्कशायर एथिक्स और कम्प्लायंस हॉटलाइन (अमेरिका और कनाडा में 1-800-261-8651 पर या बर्कशायर की वेब रिपोर्टिंग साइट द्वारा अनाम सूचनाएँ बनाई जा सकती हैं।

बर्कशायर कंपनियां अच्छे विश्वास में इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने पर किसी भी प्रकार के प्रतिशोध का निषेध करती हैं, भले ही यह पता चले कि सूचित किया जाने वाला आचरण अवैध या अनुचित नहीं है। बर्कशायर की सहायक कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके यहाँ प्रतिशोध विरोधी और मुखबिर (व्हिसलब्लोअर) सुरक्षा जैसे विषयों से जुड़ी नीतियां और प्रशिक्षण होना चाहिए। बर्कशायर की सहायक कंपनियों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सभी कर्मचारियों पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे दुराचार को रिपोर्ट करें।

बर्कशायर यह पहचानता है कि प्रत्यके आंतरिक जांच की परिस्थितियां अनूठी हैं और उनके लिए शायद भिन्न पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है। अतः, बर्कशायर की सहायक कंपनियों को किसी हॉटलाइन या अन्य स्त्रोत से उत्पन्न होने वाली आंतरिक जांचों का प्रबंधन करने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया स्थापित करनी चाहिए और उसका दस्तावेजीकरण करने के विषय पर विचार करना चाहिए। इस प्रक्रिया के ज़रिए स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि कौन से कर्मचारी ज़िम्मेदार हैं और आम तौर पर जांच का संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए। बर्कशायर की सहायक कंपनियों को एक सविस्तार लिखित रिपोर्ट प्रदान करना चाहिए जिसमें जांच के चरणों और परिणामों का वर्णन शामिल हो। इस दस्तावेजीकृत प्रक्रिया में दुराचार का विश्लेषण और उससे मिली सीख की जानकारी शामिल होनी चाहिए।

***आपकी सहयोगिता आवश्यक है।*** प्रत्येक, Berkshire या Berkshire की सहायक कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को Berkshire, या Berkshire द्वारा नियुक्त किसी बाह्य कानूनी सलाहकार या फोरेंसिक एकाउंटेंट को अपना पूर्ण सहयोग देना होगा जो यह जांचने का प्रयास कर रहे हैं कि खुद Berkshire या Berkshire की किसी सहायक कंपनी में अनुपालन नीति का कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं या फिर अनुपालन नीति उद्देश्यानुसार प्रभावी

रूप से कार्यान्वित है या नहीं। ऐसे सहयोग के दायरे में शामिल है अनुरोध की गई जानकारी प्रदान करना और साक्षात्कारों, जांच और ऑडिटों में शामिल होना।

**III. अमेरिकी एवं विदेशी भ्रष्टाचार विरोधी कानून, दोनों का अनुपालन आवश्यक है**

इस नीति में रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध बर्कशारय के दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है एवं साथ ही यह बताया गया है कि इस नीति एवं रिश्वत विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किन न्यूनतम कार्यप्रणालियों का अनुसरण करना अनिवार्य है। इस नीति में (1) कुछ विशिष्ट कानूनों एवं विनियमों को पहचाना गया है जो शायद बर्कशायर की सहायक कंपनियों के कार्य संचालन पर लागू हो सकते हैं, एवं (2) इसमें उल्लेख किया गया है कि उन कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किन न्यूनतम मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए। लागू कानूनों एवं विनियमों में केवल अमेरिका के संघीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय कानून मात्र शामिल नहीं है, बल्कि उन विदेशी देशों के कानून एवं विनियम भी इसमें शामिल हैं जिनमें बर्कशायर की सहायक कंपनी अपने बिज़नेस को संचालित करती है, जैसे कि, युनाइटेड किंगडम का ब्राइबरी एक्ट 2010 एवं ब्राजील क्लीन कंपनी एक्ट 2014। चूंकि 1977 का यथा संशोधित, युनाइटेड स्टेट्स फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट "एफसीपीए" वह भ्रष्टाचार विरोधी कानून है जो सबसे व्यापक रूप से बर्कशायर इंटरनेशनल के बिज़नेस को प्रभावित करता है, इसलिए बर्कशायर की नीति का उल्लेख करने के लिए इस नीति में उस कानून को एक संरचना के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, इस नीति में ज़्यादातर जगहों में "सरकारी अधिकारी" शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एफसीपीए "विदेशी अधिकारी" शब्द का इस्तेमाल करता है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि बर्कशायर की नीति दुनिया भर में सभी सरकारी अधिकारियों के साथ पारस्परिक क्रियाओं पर लागू होती है एवं इस नीति के दायरे में उल्लिखित सभी सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने से यह बात सुनिश्चित होगी कि सभी देशों के रिश्वत विरोधी एवं भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का अनुपालन किया जा रहा है।

हालांकि, साल 2025 के आरंभ में वर्तमान प्रशासन ने एफसीपीए की प्रवर्तन प्राथमिकताओं में बदलाव का संकेत दिया था, जिसमें पहले 180 दिनों का एक सामयिक विराम था और बाद में कार्टेल, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों एवं अमेरिकी हितों के विरुद्ध आचरण पर केंद्रित एक अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया था, फिर भी बर्कशायर और उसकी सभी सहायक कंपनियां एफसीपीए के अनुपालन के प्रति संपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। प्रवर्तन प्रवृत्तियों में हुए परिवर्तनों के बावजूद हम मज़बूत भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों को बरकरार रखते हैं और दुनियाभर में नैतिक व्यावसायिक पद्धतियों को बनाए रखते हैं।

**IV. निषिद्ध ऑफर या भुगतान**

बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी को एफसीपीए (FCPA) और अन्य सभी लागू रिश्वतखोरी विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों का पालन करना चाहिए। एफसीपीए (FCPA) अनुचित लाभ या हित प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत, किकबैक और भेंट देना निषिद्ध करता है, जैसे कि अन्य मामलों में, व्यावसायिक या सरकारी अनुबंध प्रदान करना या प्रतिधारित रखना, कर लाभ या वैल्यू एडेड टैक्स या कॉर्पोरेट आय करों में कमी प्राप्त करना या परमिट या लाइसेंस प्राप्त करना। अन्य अमेरिकी और विदेशी कानूनों के तहत गैर-सरकारी कर्मियों को रिश्वत देना निषिद्ध है (कभी कभी इसे "वाणिज्यिक" रिश्वतखोरी कहा जाता है)

**सभी अनुचित भुगतान निषिद्ध हैं।** बर्कशायर की सहायक कंपनियों, इन सहायक कंपनियों के कर्मचारियों और मध्यस्थों के लिए किसी भी कार्रवाई को अनुचित रूप से प्रभावित करने या कोई अनुचित व्यावसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए ***दुनिया में कहीं भी, किसी भी व्यक्ति को*** घूस या रिश्वत का वादा देना, ऐसी किसी चीज़ को अधिकृत करना, उसका प्रस्ताव देना या वाकई इन्हें प्रदान करना निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति या कंपनी को व्यापार देने के जैसे किसी अनुचित लाभ को प्रदान करने के एवज में उन्हें किसी व्यक्ति या कंपनी से इस प्रकार के भुगतान भी नहीं लेने चाहिए। भोजन, उपहार या अन्य व्यावसायिक रियायतें प्रदान करने के समय बर्कशायर की सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को अवश्य ही ध्यान बरतना चाहिए। साख हासिल करने के लिए वाणिज्यिक परिवेशों में मामूली व्यावसायिक रियायतें प्रदान करना शायद जायज़ हो सकता है लेकिन अन्यथा अनुपलब्ध रहने वाली अधिक

अनुकूल व्यावसायिक शर्तों या अवसरों को प्राप्त करने के इरादे या अपेक्षा से उदार व्यावसायिक रियायतें प्रदान करना निषिद्ध है।

***निषिद्ध उद्देश्य।*** ख़ास तौर पर एफसीपीए (FCPA) का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कोई भी बर्कशायर की सहायक कंपनी या कोई मध्यवर्ती निम्नलिखित किसी भी उद्देश्य के लिए सरकारी अधिकारी को अनुचित रूप से, वचन के माध्यम से कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान नहीं कर सकते हैं:

***अधिकारी को अनुचित रूप से प्रभावित करना।***
***किसी भी अनुचित हित को सुरक्षित करना।***
***किसी आधिकारिक निर्णय को प्रभावित करना।***
***बर्कशायर की सहायक कंपनी को व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने या किसी अन्य व्यक्ति या कंपनी को व्यवसाय सौंपने में मदद करना।***

इसी प्रकार, बर्कशायर की कोई भी सहायक कंपनी, उसके कर्मचारी या कोई मध्यवर्ती किसी तीसरे पक्ष को उपरोक्त सूचीबद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए सरकारी अधिकारी को अनुचित रूप से के माध्यम से कोई मूल्यवान वस्तु प्रदान करने के लिए *अधिकृत* नहीं कर सकते हैं।

***"भ्रष्ट" भुगतान।*** यदि "भ्रष्ट रूप से" किसी सरकारी अधिकारी को मूल्यवान वस्तु का वचन देने, प्रदान करने, प्रदान करने के लिए प्रस्तावित करने, या इसके प्रबंध का अधिकार देने को निषिद्ध करता है। इसका अर्थ यह है कि दाता का उद्देश्य या इच्छा है कि वह प्राप्तकर्ता को अनुचित रूप से प्रभावित करे और बदले में कुछ हासिल करे, (*यानी प्रतिकर (क्विड प्रो क्वो)*)। एफसीपीए (FCPA) में "भ्रष्ट" शब्द का उपयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कि प्रस्ताव, भुगतान, वचन या उपहार का उद्देश्य अधिकारी को आधिकारिक रूप से उसके आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करना ताकि वह व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने में सहायता कर सके।

***सरकारी अधिकारी।*** एफसीपीए (FCPA) के तहत, एक सरकारी अधिकारी:

किसी सरकार या विभाग, एजंसी, या सरकार के यांत्रिक कार्यों में शामिल कोई अधिकारी या कर्मचारी होता है।
कोई निर्वाचित अधिकारी।
संयुक्त राष्ट्र या विश्व बैंक जैसे सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठन का कोई अधिकारी या कर्मचारी।
सरकारी एजेंसी, विभाग, यांत्रिक कार्य या सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय संगठन की ओर से या किसी आधिकारिक क्षमता में कार्यरत व्यक्ति।
किसी सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण अधीन कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी, (जैसे कि, किसी राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी या राज्य के स्वामित्व वाले अस्पताल सहित)।
संयुक्त राष्ट्र के बाहर के राजनीतिक दल और उनके कर्मचारी।
संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के बाहर राजनीतिक कार्यालय के लिए उम्मीदवार।
एक शाही परिवार का कोई भी सदस्य जिसे औपचारिक अधिकार का अभाव हो सकता है, परन्तु जो राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण अधीन कंपनियों के स्वामित्व या प्रबंधन सहित अन्य तरीके से प्रभावशाली हो सकता है।

इस बात पर ध्यान दिया जाए कि राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण अधीन (चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण अधीन) संस्थाओं के कर्मचारियों को एफसीपीए (FCPA) के तहत सरकारी अधिकारी माना जाता है भले ही स्थानीय कानून के अनुसार उनका पद, राष्ट्रीयता या वर्गीकरण कोई भी हो। कुछ व्यक्ति, जिन्हें उनके ही देश में सरकारी अधिकारी नहीं माना जाता है, को एफसीपीए (FCPA) (उदाहरण के तौर पर, राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्यसेवा सिस्टम में काम करने वाली नर्सें एवं चिकित्सक, या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन तेल कंपनी के कर्मचारी) के तहत सरकारी अधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, एक कंपनी सरकार

के नियंत्रण अधीन हो सकती है भले ही वह सार्वजनिक रूप से व्यवसाय करती हो, और भले ही उसका कुछ स्टॉक सरकार के स्वामित्व में न हो।

इस नीति के उद्देश्यों के लिए, सरकारी अधिकारियों के परिवार के करीबी सदस्यों (*जैसे कि,* भाई, बहन, माता, पिता, पति, पत्नी या बच्चे) को भी सरकारी अधिकारी ही माना जाता है। इस नीति के उद्देश्यों के लिए, नीति संबंधित निषेध पूर्व सरकारी अधिकारी द्वारा अर्ध-आधिकारिक स्थिति को बरकरार रखने की स्थिति में भी उन पर लागू होते हैं।

***अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष भुगतान।*** एफसीपीए (FCPA) के तहत अनुचित भुगतान या उपहार के प्रति निषेध न केवल भुगतान या भुगतान की प्रत्यक्ष प्रस्तावनाओं पर लागू होता है, बल्कि किसी भी मध्यवर्तियों के माध्यम से की गई अप्रत्यक्ष प्रस्तावनाओं या भुगतानों पर भी लागू होता है। यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि बर्कशायर की सहायक कंपनी के मध्यवर्ती व्यक्ति, उपरोक्त वर्णित किसी भी निषिद्ध उद्देश्य के लिए सरकारी अधिकारी को मूल्यवान वस्तु प्रदान करने के लिए अधिकार, वचन, प्रस्तावना प्रदान नहीं कर सकेंगे।

***कोई भी मूल्यवान वस्तु।*** "कोई भी मूल्यवान वस्तु" शब्द व्यापक तौर पर एफसीपीए (FCPA) के तहत स्वीकार किया जाता है और इसमें केवल मौद्रिक उपहार ही नहीं बल्कि और बहुत कुछ शामिल होता है। निम्नलिखित में से, अन्य चीज़ों में से प्रत्येक, "किसी भी मूलवान वस्तु" का गठन कर सकती है:

| **नकद और वित्तीय** | **हॉस्पिटेलिटी एवं लेशर** | **माल और संपत्ति** | **अन्य लाभ** |
|---|---|---|---|
| पैसे (नकदी, चेक, वायर, वाउचर, प्रीपेड कार्ड) | भोजन और ड्रिंक्स | कला | संविदात्मक अधिकार |
| अत्यधिक कमीशन | मनोरंजन (गॉल्फ, स्पोर्टिंग इवेंट) | वाहन | चैरिटी को अनुदान |
| बाज़ार के मूल्य से कम पर बिक्री (छूट यानी कि डिस्काउंट देना ) | प्राइवेट या सम्बद्ध विमान की फ्लाइट | निजी उपहार | परिवार के सदस्यों के लिए स्कॉलरशिप (छात्रवृत्ति) |
| बाज़ार के मूल्य से अधिक पर बिक्री | छुट्टियां | उत्पादों/सेवाओं पर अत्यधिक छूट | अन्य प्रकार के उपहार |

यह अस्पृश्य लाभों पर भी लागू होता है जैसे कि किसी अधिकारी के पसंदीदा दान में योगदान देना, किसी अधिकारी के दोस्तों या परिवार के लिए रोज़गार या इंटर्नशिप की प्रस्तावनाएँ, किसी अधिकारी के दोस्तों या परिवार के सदस्य को किसी स्कूल में दाखिला लेने में सहायता करना, वीजा स्पॉन्सर करना या अधिकारियों के दोस्तों या परिवार को अन्य प्रकार की सहायता की पेशकश करना। यह नीति सरकारी अधिकारियों के संबंधियों और परिवार के सदस्यों को मूल्यवान वस्तुओं के भुगतान की प्रस्तावना पर उसी प्रकार लागू होती है, जैसे कि स्‍वयं सरकारी अधिकारियों पर लागू होती है।

***सांकेतिक उपहार और मनोरंजन।*** कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें एफसीपीए (FCPA) के तहत किसी सरकारी अधिकारी को कम कीमत वाली वस्तुएँ भेंट करना स्वीकार्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, अधिकारी

को अनुचित रूप से प्रभावित न करने के उद्देश्य से बर्कशायर की सहायक कंपनी के लोगो वाले पेन या मग जैसे कम कीमत वाले उपहार भेंट करना स्वीकार्य नहीं है। किसी भी सरकारी अधिकारी को सांकेतिक उपहार या मनोरंजन प्रदान करने से पूर्व, बर्कशायर की सहायक कंपनी के कर्मचारियों या सहायक कंपनी को यह पुष्टि करनी चाहिए कि यह गतिविधि स्थानीय कानून द्वारा अनुमोदित दायरे के भीतर है। कुछ देशों में सरकारी अधिकारियों को कुछ भी मूल्यवान वस्तु, यहाँ तक कि सांकेतिक या मनोरंजन भी प्रदान करना निषिद्ध होता है; उन देशों में, यह नीति सरकारी अधिकारियों को किसी भी प्रकार का उपहार या मनोरंजन प्रदान करना निषिद्ध करती है।

किसी भी सरकारी अधिकारी को दिया गया उपहार या मनोरंजन का मूल्य मामूली होना चाहिए, वह उस देश के लिए रिवाजी होना चाहिए और उसे सबके सामने दिया जाना चाहिए – छुपा कर नहीं – और इसके पीछे किसी अधिकारी को अनुचित रूप से प्रभावित करने या कोई ख़ास कार्य करवाने का इरादा नहीं होना चाहिए। यह कभी भी नकद या नकद समतुल्य नहीं होना चाहिए और इन्हें देने के एवज में कुछ प्राप्त करने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए बल्कि इनसे सामान्य सद्भावना को बढ़ाना दिया जाना चाहिए। वाजिब मूल्य का मूल्यांकन करने के समय पूरे वर्ष में किसी विशिष्ट अधिकारी को दिए गए सभी उपहारों या मनोरंजन के कुल मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए। इस प्रकार के सभी खर्चों को सहायक कंपनी के बही-खातों और अभिलेखों में सटीक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए।

***सुविचारित अंधापन प्रतिरक्षा नहीं होता है।*** एफसीपीए (FCPA) कंपनियों और व्यक्तियों पर दायित्व लागू करता है, भले ही वे सरकारी अधिकारी को अनुचित भुगतान के बारे में न जानते हों, ऐसी परिस्थितियों में जहां उन्हें पता होना चाहिए कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि मध्यवर्ती व्यक्ति का उद्देश्य अनुचित भुगतान करना था या उसके द्वारा अनुचित भुगतान करने की संभावना थी। तदनुसार, सहायक कंपनी और सहायक कंपनी के कर्मचारियों को ऐसे तथ्यों को नज़रंदाज़ नहीं करना चाहिए जो किसी सरकारी अधिकारी को किए जाने वाले अनुचित भुगतान, उपहार, वचन या भुगतान के प्रस्ताव, किसी मूल्यवान वस्तु का उपहार देने का सुझाव देते हैं। चेतावनी संकेतों या अनुचित आचरण के संकेतों को नज़रंदाज़ करके या “न देख कर” एफसीपीए (FCPA) उल्लंघन के लिए दायित्व को अनदेखा करने नहीं जा सकता है। वे कर्मचारी जिन्हें संदेह होता है या संकेत मिलते हैं कि भ्रष्ट तौर पर भुगतान करने या भुगतान करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं या बर्कशायर की सहायक कंपनी की ओर से भुगतान किए गए हैं, तो उन्हें "अन्य विकल्पों की तलाश नहीं करनी चाहिए" या संकेतों या "लाल झंडे" को अनदेखा नहीं करना चाहिए। एफसीपीए (FCPA) के सामने रिश्वत का कोई वास्तविक ज्ञान न होना बचाव नहीं है।

***प्रामाणिक और वाजिब व्यावसायिक व्यय।*** एफसीपीए द्वारा सरकारी अधिकारियों के वैध यात्रा और आवास के खर्चों के लिए भुगतान करने की अनुमति दी गई है जब वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादों या सेवाओं के प्रचार कार्य, किसी संविद के कार्यान्वयन, या चैरिटेबल या शैक्षिक कार्यक्रमों के समर्थन से संबंधित हो। बर्कशायर की सहायक कंपनियां केवल तभी इस प्रकार के खर्चों का भुगतान कर सकती हैं जब प्रयोज्य बर्कशायर सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी से उन्हें लिखित अनुमदोन मिले, और केवल अगर वह स्थानीय कानून द्वारा अनुमत हो और उसे अधिकारी के सरकार या एजेंसी द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो। एफसीपीए (FCPA) सरकारी अधिकारियों के लिए यात्रा और आवास के लिए प्रामाणिक और वाजिब खर्च का भुगतान करने की अनुमति देता है।

सरकारी अधिकारियों के लिए इस प्रकार के व्यय **वाजिब (मामूली एवं खर्चीले नहीं) होने चाहिए और** यात्रा और आवास के व्ययों तक सीमित होने चाहिएँ जो कि बर्कशायर सहायक कार्यक्रम या स्थान द्वारा या इनके लिए एक सरकारी आधिकारिक की प्रत्यक्ष यात्रा के लिए किए गए हों। सरकारी अधिकारियों के खर्चों में अलग से की गई यात्राओं, पर्यटन, या अतिरिक्त दिनों के खर्च शामिल नहीं होने चाहिए। आवास स्थान वाजिब होना चाहिए, जिसमें भोजन उस प्रकार के होने चाहिए जो इवेंट या यात्रा के दौरान बिजनेस-क्लास होटल से सुसंगत हों। जहाँ संभव हो वहाँ भुगतान सीधे सेवा प्रदाता को किए जाने चाहिए, जिसे रसीदों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और उन्हें उचित रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। प्रतिदिन भत्ता निषिद्ध हैं और सरकारी अधिकारी के पति या पत्नी या परिवार के सदस्यों के लिए कोई खर्च नहीं किए जाने चाहिए।

***राजनैतिक योगदान:*** प्रत्येक राजनैतिक योगदान स्थानीय कानून के अनुरूप होना चाहिए और एफसीपीए (FCPA) के अनुपालन में होना चाहिए, और व्यवसाय, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के लिए प्रत्यक्ष व्यवसाय प्राप्त करने या उसे कायम रखने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित के बिना अमेरिका के बाहर कोई राजनैतिक योगदान नहीं किया जाना चाहिए:

- स्थानीय कानून के थित योगदान की वैधता के संबंध में स्थानीय आधिवक्ता की लिखित कानूनी सलाह की रसीद
- एफसीपीए (FCPA) के तहत योगदान की वैधता के संबंध में अमेरिकी आधिवक्ता की लिखित कानूनी सलाह की रसीद
- बर्कशायर की सहायक कंपनी के लागू अनुपालन अधिकारी या सहायक कंपनी के कानूनी विभाग जैसे अन्य नियुक्त प्रतिनिधि का लिखित अनुमोदन।

**चैरिटेबल और शैक्षिक योगदान:** यात्रा करने**,** रहने और भोजन के खर्चों के साथ-साथ किसी भी चैरिटेबल या शैक्षिक योगदान को अवश्य ही स्थानीय कानून से संगत होना चाहिए और ***FCPA*** के अनुकूल होना चाहिए**,** और व्यवसाय प्राप्त करने या बनाए रखने**,** किसी अन्य व्यक्ति या सत्व को सीधे व्यवसाय देने या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए यह योगदान देना निषिद्ध है। अमेरिका से बाहर कोई भी चैरिटेबल या शैक्षिक अनुदान देने से पहले Berkshire और उसकी सहायक कंपनियों को उचित रूप से जोखिम-आधारित यथोचित प्रक्रिया का आकलन करना चाहिए ताकि वे निर्धारित कर सकें कि कहीं कोई "जोखिम के संकेत" तो मौजूद नहीं है जिनकी वहज से शायद इस अनुदान से संबंधित भ्रष्टाचार-विरोधी अनुपालन के जोखिम में वृद्धि हो सकती है।

***एफसीपीए (FCPA) के लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण प्रावधान।*** एफसीपीए (FCPA) बर्कशायर (एक पब्लिक कंपनी होने के नाते) और इसके स्वामित्व वाली प्रत्येक समेकित सहायक कंपनियों पर सख्त लेखांकन और अभिलेख की आवश्यकताएँ लागू करता है। इन लेखांकन प्रावधानों के दो मुख्य घटक होते हैं, पुस्तक और अभिलेख प्रावधान तथा आंतरिक नियंत्रण प्रावधान।

***पुस्तकें और अभिलेख***

लेखांकन प्रावधानों के लिए बर्कशायर और उसकी समेकित सहायक कंपनियों को पुस्तकों और अभिलेखों का रख-रखाव करने की आवश्यकता होती है जिनमें लेनदेन और संपत्तियों के निपटान की सटीक और उचित तौर पर विस्तारपूर्वक जानकारी शामिल होती है। यह आवश्यकता न केवल सामान्य बही-खातों तक ही नहीं बल्कि उन सभी दस्तावेज़ो तक भी विस्तृत है, जो व्यावसायिक लेनदेन और संपत्तियों के निपटान जैसे कि चालान, रसीदें, व्यय-लेखा, खरीद ऑर्डर और शिपिंग के दस्तावेज़ो का वर्णन करते हैं। बर्कशायर की सहायक कंपनी के पुस्तकों एवं अभिलेख में अनुचित, भ्रामक या अधूरी प्रविष्टियाँ निषिद्ध हैं। यह नीति अघोषित या अपरिचित फंड या खातों के रखरखाव को भी निषिद्ध करती है। चूँकि पुस्तक और अभिलेख प्रावधान में भौतिकता की आवश्यकता शामिल नहीं होती है, किसी भी राशि का कोई भी अनुचित अभिलेख एफसीपीए (FCPA) के उल्लंघन का रूप ले सकता है। इसलिए, सभी कर्मचारियों को एफसीपीए (FCPA) की पुस्तक और अभिलेख संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी भी कर्मचारी को यह नहीं समझना चाहिए कि सटीक पुस्तकें और अभिलेख तैयार करना केवल वित्त और लेखांकन विभाग के कर्मचारियों की ही ज़िम्मेदारी है।

***आंतरिक नियंत्रण***

एफसीपीए (FCPA) के आंतरिक नियंत्रण प्रावधान के लिए बर्कशायर और उसके द्वारा नियंत्रित सहायक कंपनियों को निम्नलिखित उचित आश्वासन देने के लिए पर्याप्त आंतरिक लेखांकन नियंत्रण तैयार करने और उन्हें कायम रखने की आवश्यकता होती है:

- प्रबंधन के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकरण के अनुसार ही लेनदेन निष्पादित किए जाते हैं
- सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों या इस प्रकार के ब्यौरों पर लागू होने वाले अन्य मानदंड का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने एवं संपत्ति को लेकर जवाबदेही बनाए रखने के लिए
- सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों या इस प्रकार के कथनों पर लागू होने वाले किसी भी अन्य मानदंडों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति एवं संपत्ति की जवाबदेही बनाए रखने के लिए लेन-देन को निम्नलिखित आवश्यकता के रूप में दर्ज किया जाता है
- संपत्ति का उपयोग केवल प्रबंधन के सामान्य या विशिष्ट प्राधिकरण के अनुसार अनुमोदित है

बर्कशायर के न्यूनतम-स्वामितव वाली सहायक कंपनियों के लिए, बर्कशायर का यह दायित्व है कि वे नेक नियत से अपने कॉर्पोरेट शासन पद्धतियों/दिशा-निर्देशों का उपयोग करने की चेष्टा करे ताकि उससे सहायक कंपनी उपर्युक्त एफसीपीए के आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताओं का अनुपालन कर सके। यह समान रूप से बर्कशायर की उन सहायक कंपनियों पर भी लागू होता है जिनका संयुक्त उद्यमों में कोई नियंत्रण संबंधी हित नहीं है।

अतः यह बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी की नीति है कि सभी लेनदेन राशि, लेखा अवधि, उद्देश्य और लेखांकन वर्गीकरण के संबंध में समय पर, सुसंगत और सटीक तौर पर दर्ज किए जाने चाहिएँ। इसके अलावा, बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनी को निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए:

*बर्कशायर की सहायक कंपनी द्वारा प्रत्येक लेनदेन या संपत्तियों के निपटान के लिए उचित प्राधिकरण प्राप्त होना आवश्यक है। किसी सरकारी अधिकारी को प्रदान की जाने वाली किसी भी यात्रा, उपहार या मनोरंजन की रसीद प्राप्त की जानी चाहिए और उसे संभाल कर रखा जाना चाहिए। ऐसे व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध का प्रलेखन सहित समर्थन होना चाहिए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (क) व्यय का विवरण; (ख) इसका उद्देश्य; (ग) फंड के प्राप्तकर्ता की पहचान; (घ) खर्च की गई कुल धनराशि; और (ङ) भुगतान का तरीका। इस नीति के अनुपालन के लिए इन रिकॉर्डों की समय-समय पर निगरानी की जानी चाहिए।*

*किसी भी सरकारी एजेंसी या अधिकारी को दिए गए भुगतान को एजेंसी के नाम लिखे हुए पत्र (लेटर हेड) पर बने इनवॉइस या स्टेटमेंट द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और उसमें प्रदान की गई सेवाओं और देय राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।*

*बर्कशायर की सहायक कंपनी का कोई गुप्त या अपरिवर्तित धन या संपत्ति को बनाया या उसे कायम नहीं रखा जाएगा, और ऐसे कोई लेखांकन नहीं बनाए जाएँगे या कायम रखे जाएँगे जिनके सहायक दस्तावेज़ मौजूद नहीं हैं, जो पूर्ण या आंशिक रूप से काल्पनिक हैं, या जिनका वास्तव में कोई उचित आधार नहीं है।*

*बर्कशायर की सहायक कंपनी के कोई भी चेक "नकद," "धारक," या भुगतान के हकदार किसी पक्ष के नियुक्त व्यक्तियों के नाम पर नहीं बनाए जा सकते हैं। प्रलेखित फुटकर नकद लेनदेन के अलावा, कोई भी नकद लेनदेन नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ऐसे लेनदेन का एक रसीद के रूप में प्रमाण मौजूद न हो जिस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर न हों और प्राप्तकर्ता वह पक्ष होता है जिसके साथ बर्कशायर की संबंधित सहायक कंपनी ने लिखित अनुबंध तय किया है।*

*सभी फुटकर नकद खातों के रख-रखाव पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नकद राशि उचित अनुमोदन के बिना अदा नहीं की गई है। अनुमोदन प्राप्तकर्ता की इस बात के अधीन होना चाहिए कि धन केवल एक उचित उद्देश्य के लिए ही खर्च की जाएगी। नकदी का*

*उपयोग संभव सीमा तक ही किया जाना चाहिए, और खुदरा रोकड़ राशि के सभी उपयोगों को उचित रूप से तृतीय-पक्ष प्राप्तियों के साथ प्रलेखित किया जाना चाहिए, जहां व्यावहारिक हो। बर्कशायर की सहायक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा नकदी प्राप्त होने और अदा करने की रसीदों में नकदी को उचित रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए। फुटकर नकदी लेनदेन का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएँ: (a) नकदी के उपयोग के लिए व्यावसायिक उद्देश्य के साथ, (b)सा तारीख, (c) भुगतान की गई राशि, (d) नकदी का वितरण करने वाले व्यक्ति का नाम, और (e) बर्कशायर सहायक कंपनी खाते से नकदी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और (f) नकदी के अंतिम प्राप्तकर्ता का नाम, यदि वह अलग हो।*

*बिचौलियों को भुगतान केवल उसी देश में किया जाना चाहिए, जहां बिचौलिया अपनी सेवाएं प्रदान करता है या यदि वह देश अलग है, तो उस देश में, जिसमें बिचौलिया का मुख्यालय होता है। सेवाओं के स्थान या बिचौलियों के मुख्यालय के अलावा अन्य देशों में खातों में धनराशि स्थानांतरित करने का कार्य स्वीकार्य नहीं होता है जब तक बिचौलिये एक वैध व्यावसायिक उद्देश्य और उचित सहायक दस्तावेज प्रदान नहीं करते और लेनदेन नामित बर्कशायर सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं होता।*

*लेखांकन या वित्तीय रिकॉर्ड की प्रणालियों तक पहुंच उचित प्राधिकरण न रखने वाले व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। बर्कशायर सहायक कंपनी के रिकॉर्ड को नष्ट या हटाने का कार्य केवल ऐसी बर्कशायर सहायक कंपनी की आंतरिक नीति और बर्कशायर की नीति के अनुपालन में किया जा सकता है।*

*किसी भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण होता है कि पूर्वगामी नियमों का उल्लंघन किसी भी बर्कशायर सहायक कंपनी में हो सकता है (जिसमें एक सरकारी अधिकारी को किए भुगतान को बर्कशायर सहायक कंपनी की पुस्तकों और रिकॉर्डों में गलत तरीके से लिया गया था) अपने पर्यवेक्षक या अनुपालन अधिकारी या बर्कशायर सदाचार और अनुपालन हॉटलाइन के माध्यम से उसकी तुरंत रिपोर्ट करें। बर्कशायर की सहायक कंपनी के आंतरिक या स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से किसी भी जांच का पूरी तरह से, सटीक और तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए।*

*दंड* एफसीपीए (FCPA) का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप बर्कशायर, बर्कशायर की सहायक कंपनी और शामिल लोगों के लिए गंभीर नतीजे उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें लोगों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और आपराधिक दंड एवं यहाँ तक कि जेल में सज़ा काटने की नौबत आना शामिल है। कंपनियों को आर्थिक दंड दिए जा सकते हैं।

==========================================================

***अनुभाग V और VI के निर्देश:***

***यह नीति मुख्य रूप से अमेरिकी कानूनों और नियमों पर केंद्रित है। क्योंकि अमेरिकी कानूनों और अन्य देशों के कानूनों जिसमें एक सहायक कंपनी संचालित होती है, के बीच मतभेद हो सकते हैं, प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी जो अमेरिका के बाहर या अमेरिका के बाहर संचालन के साथ आयोजित की जाती है उसे इस नीति के अनुभाग V और VI को अपनाने से पहले एक विश्लेषण करना चाहिए ताकि उन अनुभागों का कोई भी पहलू उस पर लागू किसी भी गैर-अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन नहीं करता हो। यदि एक सहायक कंपनी यह निर्धारित करती है कि अनुभाग V और VI में नीतियों के कुछ भागों का कार्यान्वयन स्थानीय कानून का उल्लंघन करेगा, तो सहायक कंपनी को नीचे की नीतियों के संभावित संशोधनों पर अतिरिक्त मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बर्कशायर के आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशक या नैतिकता और अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक से परामर्श करना चाहिए।***

==========================================================

## V. निश्चित देशों/क्षेत्रों और लोगों के साथ निषिद्ध लेनदेन

प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी और उसके कर्मचारियों को अमेरिकी कानून, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और लागू होने वाले अन्य देशों के कानूनों और विनियमों के तहत सभी लागू आर्थिक और व्यापार प्रतिबंधों और आलिंगन कार्यक्रमों का पालन करना चाहिए। अनुपालन के लिए सावधानीपूर्वक निगरानी की आवश्यकता होती है, और कभी-कभी प्रतिबंधित देशों और राज्यों से जुड़े लेनदेन और व्यक्तियों, संस्थाओं, जहाजों और विमानों और क्रिप्टो मुद्रा वॉलेट (जैसे कि, आतंकवादियों, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसारकर्ता और नशीले पदार्थों के तस्करों) को प्रतिबंधित करना होता है। ज्यादातर मामलों में, उल्लंघन के परिणामस्वरूप 20 साल तक की जेल की सजाएं, $1 मिलियन का जुर्माना, या दोनों, और $377,700 तक से अधिक की राशि में प्रति उल्लंघन सिविल जुर्माना तक लेनदेन में शामिल मूल्य का दुगना हो सकता है। हालांकि, उल्लंघन के प्रकार और वैधानिक शासन के आधार पर, लागू दंड भिन्न हो सकते हैं। साल 2024 में, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध और घाटबंधी कार्यक्रमों की सीमाओं और उन्हें रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं की विधियों की समयावधि को पाँच वर्षों से दस वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। दस वर्षों कि सीमा की यह अवधि पूर्वव्यापी प्रभाव से अप्रैल 24, 2019 के बाद हुए किन्हीं भी उल्लंघनों पर लागू होता है। बर्कशायर की सहायक कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए वे अपनी आंतरिक नीतियों और पद्धतियों को अपडेट करेंगे।

इस नीति के भाग V में वर्णित ज़्यादातर व्यापार प्रतिबंध “यू.एस. व्यक्तियों," जिनमें (i) यू.एस. में आयोजित सभी कंपनियां और साथ ही उनकी विदेशी शाखाएं, (ii) संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थित अन्यथा अमेरिकी क्षेत्राधिकार के अधीन कंपनियाँ और व्यक्ति (उदाहरण यू.एस. बैंकिंग प्रणाली के उपयोग के माध्यम से) जिसमें दुनिया में कहीं भी अमेरिकी डॉलर मुद्रा में होने वाले लेनदेन शामिल हैं (iii)व्यक्ति और सभी अमेरिकी नागरिक और स्थाई विदेशी निवासी शामिल होते हैं (जिसमें विदेशियों की ओर से काम करने वाले अमरीकी लोग भी शामिल हैं) । क्यूबा के अमेरिकी प्रतिबंध और ईरान पर लागू प्रतिबंधों के प्रयोजनों के लिए, निम्न वर्णित, अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व वाली या नियंत्रित विदेशी संस्थाएं भी इन प्रतिबंध कार्यक्रमों के अधीन हैं।

इस अनुभाग V में निर्धारित नीतियों को उन सभी बर्कशायर सहायक कंपनियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए जो अमेरिका में आयोजित की जाती हैं या जिनके पास अमेरिकी परिचालन होते हैं। कोई भी बर्कशायर सहायक कंपनी जो अमेरिका के बाहर आयोजित की जाती है और जिसके पास अमेरिकी परिचालन या अमेरिकी कर्मचारी नहीं होते हैं, उसे इन व्यापार प्रतिबंधों के संबंध में अपने कानूनी दायित्वों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, जैसे कि इसका बर्कशायर के लोगों या अन्य अमेरिकी लोगों द्वारा स्वामित्व, अपने कर्मचारियों की नागरिकता, संचालन का स्थान तृतीय पक्ष वाले संबंध (ख़ास तौर पर बैंकिंग संबंध और अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल) और उसकी प्रकृति और वह अमेरिकी निर्यात नियंत्रणों के अधीन वस्तुओं, सेवाओं, या प्रौद्योगिकी का उपयोग करता या इनको बेचता है या नहीं, इस तरह के कारकों को ध्यान में रखते हुए, और इस नीति के सभी भागों को अपनाना चाहिए जो इसके संचालन के लिए लागू होते हैं, या अन्यथा स्थानीय कानून के अनुरूप मितव्ययी होते हैं। स्थानीय कानून और नीचे वर्णित व्यापार प्रतिबंधों के बीच किसी भी संभावित मतभेद को प्रभावित वकील के कानूनी अधिकारी और बर्कशायर के मुख्य वित्तीय अधिकारी या आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशक या नैतिकता और अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक के परामर्श से प्रभावित बर्कशायर सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए।

***<u>कुछ विशिष्ट देशों और गतिविधि-विशिष्ट अनुमोदन कार्यक्रमों के बारे में अधिक विशिष्ट जानकारी निम्नलिखित है:</u>***

***क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया और यूक्रेन के कुछ कब्ज़े में लिए गए या संलग्न क्षेत्र के साथ लेनदेन।*** अमेरिका ने निम्नलिखित देशों/भौगोलिक क्षेत्रों के विरूद्ध व्यापक प्रतिबंध शुरू किए हैं:

- क्यूबा

- ईरान
- उत्तर कोरिया
- “डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक”, “लुहान्सक पीपुल्स रिपब्लिक”
- क्रीमिया क्षेत्र और ज़ापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों के कुछ हिस्से (यूक्रेन में रूस द्वारा कब्ज़ा किए गए कुछ हिस्से)।

इन प्रतिबंध कार्यक्रमों में प्रतिबंध और निषेध (कुछ निर्दिष्ट अपवाद सहित) शामिल हैं जो अमेरिकी लोगों के लिए उक्त देशों/क्षेत्रों में स्थित लोगों और संस्थाओं के साथ व्यापार, वाणिज्यिक या वित्तीय लेन-देनों में शामिल होने पर रोक लगाते हैं। प्रतिबंधित किए जाने वाले व्यवहारों के कुछ गैर-संपूर्ण उदाहरणों में यह शामिल हैं:

- अमेरिका में, और, कुछ मामलों में, दूसरे देशों में, माल, प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, या सेवाओं से, या मूल देश/क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कुछ मामलों में आयात
- अमेरिका से या, कुछ मामलों में, विदेशों से, माल, प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर, या सेवाओं का, सीधे या बिचौलियों के माध्यम से, देश/क्षेत्र में निर्यात
- प्रतिबंधित देश/क्षेत्र में निवेश
- प्रतिबंधित देश को या क्षेत्र से, माल, प्रौद्योगिकी या सेवाओं की बिक्री, भले ही लेनदेन पूरी तरह से अमेरिका के बाहर किया गया हो
- प्रतिबंधित देश/क्षेत्र या इसके नागरिकों के व्यवसायों या संपत्ति को बीमा या पुनर्बीमा प्रदान करना, या प्रतिबंधित देश/क्षेत्र या इसके नागरिकों से आयात या निर्यात करना
- अन्य लेन-देन जिसमें एक वित्तीय संस्थान या कोई दूसरा व्यक्ति प्रतिबंधित देश/क्षेत्र की ओर से रुचि रखता है

एम्बारगो कार्यक्रम अक्सर परिवर्तनों के अधीन होते हैं। इन एम्बारगो के बारे में विस्तृत जानकारी, जिनमें "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" और अन्य मार्गदर्शन शामिल हैं, को
https://home.treasury.gov/policy-issues/financialsanctions/
sanctions-programs-and-country-information पर विदेशी परिसंपत्ति नियंत्रण कार्यालय (Foreign Assets Control, OFAC) की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। बर्कशायर सहायक कंपनियों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को OFAC वेबसाइट से नियमित रूप से परामर्श करने और कोई परिवर्तन होने या नई जानकारी या मार्गदर्शन उपलब्ध होने पर ओएफएसी से ईमेल घोषणाएं प्राप्त करने के लिए साइन अप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, Berkshire या Berkshire की किसी भी सहयाक कंपनी के कर्मचारी या प्रतिनिधि के लिए उस Berkshire सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी की पूर्व लिखित सहमति लिए बिना व्यवसाय के उद्देश्य हेतु किन्हीं भी उक्त सूचीबद्ध प्रतिबंधित देशों में यात्रा करना निषिद्ध है। अगर इस प्रकार की किसी भी यात्रा को अनुमोदित किया जाता है तो इसे केवल अनुमोदन में उल्लिखित किन्हीं भी शर्तों के अनुसार ही संचालित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यात्रा चाहे व्यावसायिक या व्यक्तिगत कारण हेतु हो, Berkshire या Berkshire की सहायक कंपनी के किसी भी कर्मचारी के लिए Berkshire या Berkshire द्वारा प्रदान किए गए किन्हीं भी डिवाइसों को उन देशों में ले जाना निषिद्ध है (जैसे कि, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट या अन्य मोबाइल डिवाइसें इत्यादि) और किसी भी कर्मचारी के निजी मोबाइल डिवाइस में ऐसे कोई भी एप्लिकेशन नहीं होने चाहिए जो उन्हें Berkshire या Berkshire के ईमेल सिस्टम या नेटवर्क तक पहुँच प्रदान करे।

इस भाग में वर्णित विदेशी कानूनों एवं प्रतिबंध कार्यक्रमों की जटिलता को मद्देनज़र रखते हुए, **भाग V लागू होता है एसी किसी भी बर्कशायर सहायक कंपनी के लिए** पहले उस प्रभावित बर्कशायर सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी के साथ सलाह मशविरा किए बिना एवं साथ ही बर्कशारयर के कानूनी परामर्शदाता एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी या आंतरिक लेखा परीक्षा निदेशक या नैतिकता और अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक के साथ सलाह मशविरा किए बिना **उक्त वर्णित प्रकार की ऐसे किन्हीं भी लेनदेनों या कार्य निष्पादन में शामिल होना निषिद्ध है**

**जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्यूबा, इरान, उत्तर कोरिया, रूस, सिरिया, वेनेजुएला या उक्त वर्णित यूक्रेन में रूस द्वारा जबरन कब्ज़ा किए गए क्षेत्र शामिल हैं।**

**सिरिया से लेनदेन -** साल 2025 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिरिया पर व्यापक प्रतिबंध लागू किए हुए थे, जो क्यूबा, इरान, उत्तर कोरिया और ऊपर चर्चित यूक्रेन पर कब्ज़ा किए गए क्षेत्रों पर लागू देश के कार्यक्रमों के समान थे। जुलाई 2025 में, सिरिया में नए सरकार के आने पर, ओएफएसी ने अपने व्यापक प्रतिबंध कार्यक्रम को हटा दिया। सितम्बर 2025 में, अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने एक कदम उठाकर नए लाइसेंस जारी किए जिन्होंने सिरिया को कई सारे अमेरिकी मूल के उत्पादों को निर्यात करने की अनुमति दी। इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि कई सारे सार्थक सूची-आधारित प्रतिबंध अब भी सिरिया पर लागू हैं, और अमेरिकी मूल वाले उत्पादों के निर्यात कई अंतिम उपयोग से जुड़े प्रतिबंधों और सीमाओं के अधीन हैं। प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण को कम करने के बावजूद भी, संयुक्त राज्य अब भी सिरिया को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक मानता है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से, सिरिया अब भी व्यापार करने के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। भूमि पर बनी हुई तानवपूर्ण एवं नाज़ुक स्थिति एवं चूंकि सिरियन सरकार की किसी हानिकारक गतिविधि में शामिलगिरी पर प्रतिबंधों को दोबारा जारी करने का जोखिम अब भी बना हुआ है इसलिए सिरिया को शामिल करने वाले किसी भी लेनदेन को अवश्य ही बर्कशायर के नैतिकता एवं अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

**वेनेज़ुएला के साथ लेनदेन।** वेनेज़ुएला में होने वाले राजनीतिक और परिस्थितियों को लेकर अमरीकी सरकार में जारी और बढ़ती हुई चिंताओं के कारण, अन्य फेडरल एजंसियों के साथ-साथ ओएफएसी ने कई विशिष्ट उद्योग, सरकारी एजेंसियों और व्यक्तियों और सत्वों के लिए अनुमोदन कार्यक्रम बनाए और कार्यांवित किए हैं। जब इन विभिन्न अनुमोदन के कार्यक्रमों पर विस्तारपूर्वक और संपूर्ण रूप से गौर किया जाता है तो यह वेनेज़ुएला के साथ लेनदेन पर डी फैक्टो एम्बार्गो बन जाते हैं। अतः, बर्कशायर की एक नीति है जिसके अंतर्गत वेनेज़ुएला में या उसके साथ व्यवसाय करना या वेनेज़ुएला की सरकार से जुड़े व्यक्तियों या सत्वों के साथ व्यवसाय करना निषिद्ध है। वेनेज़ुएला के साथ किसी भी विचाराधीन लेनदेन को अवश्य ही बार्कशायर के नैतिकता एवं अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

***रूसी प्रतिबंध एवं निर्यात प्रतिबंध।***

**बर्कशायर की रूस में या उसके साथ व्यापार न करने की नीति है।** रूस की शामिलगिरी है ऐसे किसी भी व्यापार में हिस्सा लेने से पहले, बर्कशायर की सहायक कंपनियों को व्यापक लिखित कार्य संचालन की नीतियां और पद्धतियां अपनानी होंगी जो बताती हों कि इन प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए व्यापार को कैसे संचालित किया जाएगा एवं उन्हें बर्कशायर के मुख्य वित्तीय अधिकारी, बर्कशायर के आंतरिक ऑडिट के डायरेक्टर और बर्कशायर के नैतिकता एवं अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक से पूर्व अनुमोदन लेने के लिए इन नीतियों एवं कार्य पद्धतियों को वार्षिक तौर पर जमा करना होगा। यह बात रूस से मिलने वाली आय और साथ ही आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) एवं सेवा प्रदाता संबंधों पर भी लागू होती है (जैसे कि, सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट एवं कोडिंग)। इन रूसी प्रतिबंधों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह पूर्वानुमानित किया जाता है कि यूक्रेन में संघर्ष की स्थिति का समाधान न होने तक यह और भी बढ़ते रहेंगे। अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन, सैकड़ों रूसी कंपनियों, ज़्यादातर बैंकों, दर्जनों उच्च निवल मूल्य वाले रूसी लोगों एवं उनके स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन आने वाली कंपनियों पर अमेरिका में बिजनेस करने के मामले में संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही, सबसे उल्लेखनीय है अमेरिकी लोगों के द्वारा रूस में किए गए "नए निवेश" पर लागू होने वाले प्रतिबंध। इस प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, अमेरिकी लोगों के लिए **किसी भी रूसी-अधिवासित संस्था** से या किसी अन्य से कोई भी इक्विटी सिक्योरिटी खरीदना या ऋण देना निषिद्ध है। समान रूप से उनके लिए इस प्रकार की गैर-रूसी संस्थाओं के साथ ऐसे लेनदेन में शामिल होना निषिद्ध है किनकी आधे से ज़्यादा आय या संपत्ति रूस में हैं, या जहाँ निवेश का उद्देश्य है रूस में गतिविधियों को समर्थित करना। अमेरिकी लोगों के लिए रूस में नई सुविधाओं या फैक्टरियों का निर्माण करने के लिए या नए व्यापार के कार्य संचालन में शामिल होने के लिए कोई नए पूंजी व्यय निषिद्ध हैं। अमेरिकी कंपनियों की रूसी सहायक कंपनियां अपने पूर्व-मौजूदा कार्यों को बरकरार रख सकती हैं (लेकिन उन्हें बढ़ाना निषिद्ध है) परंतु यह कार्य कई प्रतिबंधों की रोकथाम

के अधीन रहेंगे जिसके अंतर्गत शामिल है कि वे किसे बेच सकते हैं, किसके साथ बैंक कर सकते हैं एवं सरकार में किसके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं।

अमेरिका में अमेरिकी लोगों पर रूसी अर्थव्यवस्था को कई सेवाएं प्रदान करने पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, चाहे उन सेवाओं का प्रापक इन सूची आधारित प्रतिबंधों में शामिल हो या ना हो। इन सेवा प्रतिबंधों में शामिल हैं: अकाउंटिंग (लेखा परीक्षण), न्यास, एवं कॉर्पोरेट गठन सेवाएं, प्रबंधन कन्सल्टिंग सेवाएं; आर्किटेक्चर एवं इंजीनियरिंग सेवाएं; एवं क्वानटम कम्प्यूटिंग सेवाएं और आईटी एवं सॉफ्टवेयर सेवाएं। इसी प्रकार के प्रतिबंध रूस के तेल एवं गैस उत्पादन एवं परिवहन पर भी लागू होते हैं, जिसमें रूसी तेल के समुद्री परिवहन के लिए किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने (बीमा सहित) पर प्रतिबंध लगे हुए हैं, यदि न वह निर्दिष्ट मूल्य सीमाओं के भीतर हो। उक्त क्षेत्रों या वित्त, धातु/खनन, एवं विमानन में अपना कार्य संचालित करने वाली रूसी कंपनियों पर भी सूची आधारित प्रतिबंधों द्वारा लक्षित किए जाने का वर्धित जोखिम है।

यूक्रेन में संघर्ष की स्थिति के चलते अमेरिकी निर्यात नियंत्रण में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लगभग किसी भी अमेरिकी नियंत्रित मद को रूस में निर्यात करना संभवतः निषिद्ध हो गया है। इसमें शामिल हैं, सीमित अपवादों सहित, ज़्यादातर "दोहरे उपयोग" वाले हार्डवेयर एवं तकनीकी जानकारी के साथ-साथ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पाए जाने वाली अपेक्षाकृत सर्वव्यापी एन्क्रिप्शन सुविधाएँ।

अलग से इस बात पर ध्यान देना उल्लेखनीय है कि रूस के साथ कुछ विशिष्ट ऋण या इक्विटी लेनदेनों पर लेगसी प्रतिबंध लागू हैं। यह प्रतिबंध साल 2014 से शुरू हुए थे लेकिन मोटे तौर पर अब यह ऊपर चर्चित "नए निवेश" में शामिल हो गए हैं। लेकिन यह लागू होते हैं और इनका अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

***चीन के साथ लेन-देन।*** चीन वर्तमान में व्यापक अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों और निर्यात नियंत्रण उपायों का हालिया लक्ष्य है जो चीनी कंपनियों या लोगों के साथ लेनदेन प्रतिबंधित करते हैं या चीन जाने वाले कुछ अमेरिकी निर्यातों और पुनःनिर्यातों पर लाइसेंस आवश्यकताओं को प्रतिबंधित या प्रतिस्थापित करता है। एकाधिक अमेरिकी सरकार की एजेंसियों ने अपनी सूचियों को अपडेट किया है ताकि वे चीनी सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों और साथ-साथ कई अन्य प्राइवेट सत्वों और लोगों को शामिल कर सकें। यू.एस एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस ("EAR") के अधीन, अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ("BIS") की इकाई सूची में कई प्रसिद्ध चीनी कंपनियों को और उनके विश्वव्यापी सहयोगियों (जैसे कि हुवाई) को पहचाना गया है जिन्हें निर्यात और पुनः निर्यात करना BIS लाइसेंस के बिना निषिद्ध हैं। इसके अलावा EAR द्वारा एंड-यूज़ कंट्रोल पर बदलाव, चीन में उन कंपनियों को भेजते समय कुछ व्यावसायिक वस्तुओं के लिए निर्यात और पुनः निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता (इनकार की नीति के साथ) लागू करता है जो चीनी सेना या सैन्य सूचना को समर्थित करने वाली चीन में आधारित कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु रक्षा संबंधी वस्तुओं का निर्माण और उनका समर्थन करती अमेरिका ने हांग कांग के प्रति भी अपने नज़रिए को बदला है, और अलग निर्यात लाइसेंसिंग नियमों को हटा दिया एवं और साथ ही उनकी अब यह मांग है कि चीन से आने वाले माल पर उनकी उत्पत्ति स्पष्ट रूप से दर्शाई जानी चाहिए। सहायक कंपनियों को अमेरिकी कानूनों का अनुपालन करना होगा जिनके तहत जबरन मज़दूरी से संबंधित आयात और ख़ास तौर पर झिंजियांग से आयात निषिद्ध हैं। यह प्रतिबंध तेज़ी से बदल रहे हैं, और चीन में या चीन के साथ व्यापार करने वाली बार्कशायर की सहायक कंपनियों को अवश्य ही होने वाले बदलावों की नियमित रूप से जांच करनी होगी और उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि उनकी नीतियां और प्रणालियां वर्तमान प्रतिबंधों एवं निर्यात और आयात आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं।

[1] एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर 14071 एवं OFAC द्वारा प्रख्यापित "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" का कार्यान्वयन देखें।

[2] उदाहरण के तौर पर, एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर 13662 एवं OFAC द्वारा नए ऋण और इक्विटी एवं गहरे पानी, आर्कटिक अपतटीय, और रूस में शेल ड्रिलिंग से जुड़े निर्देश 1 – 4 का कार्यान्वयन देखें।
[3]इन नियंत्रणों को लागू करने में निर्यातकों की मदद करने के लिए, बीआईएस ने सैन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं की सूची  (जो ईएआर के भाग 744 के परिशिष्ट 7 में मिल सकता है) और सैन्य-इंटेलिजेंस अंतिम उपयोगकर्ताओं की सूची (जो ईएआर के भाग 744.22 में मिल सकता है) प्रदान की है।

***कुछ अवरुद्ध व्यक्तियों, संस्थाओं और समूहों के साथ लेनदेन।*** अमेरिका ने आर्थिक और व्यापार प्रतिबंध कार्यक्रमों को भी शुरू किया है जो यू.एस. के बाहर स्थित कंपनियों सहित अमेरिकी व्यक्तियों को, जो अमेरिकी मूल के स्वामित्व में हैं, को नामित व्यक्तियों, संस्थाओं, जहाजों,विमानों और क्रिप्टो मुद्रा वॉलेटों के साथ लगभग किसी भी प्रकृति से बिना लाइसेंस के लेनदेन में संलग्न होने पर रोक लगाते हैं।  अमेरिकी सरकार ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं, जहाजों, विमानों, क्रिप्टो मुद्रा वॉलेटों की पहचान इन सूचियों की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रतिबंध "विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय और अवरुद्ध व्यक्तियों" की सूची ("एसडीएन सूची") ओएफएसी द्वारा बनाई गई है। उन पार्टियों की अन्य सूचियों में जिनके साथ विभिन्न लेनदेन प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं शामिल हैं सत्वों की सूची, अस्वीकृत व्यक्तियों की सूची, और असत्यापित सूची, जैसे उनमें से प्रत्येक को BIS , और अमेरिकी व्यापार विभाग के रक्षा व्यापार नियंत्रण निदेशालय “डीडीटीसी” द्वारा बनाई गई डीबार्ड पार्टीज़ लिस्ट द्वारा बरकरार रखा जाता है।

एसडीएन सूची में वे संस्थाएं शामिल हैं जो अमेरिकी सुरक्षा और विदेशी नीतिगत हितों के लिए अक्षम हैं, जैसे कि "ट्रांसनैशनल अपराधिक संस्थाएं," "नार्कोटिक्स ट्रैफिकर्स," "आतंकवादी संगठन", "सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसारकर्ता" और अन्य आचरण जैसे साइबर से संबंधित अपराध, चुनाव में हस्तक्षेप, और भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों का उल्लंघन। सूची में अन्य लोगों में शामिल ऊपर वर्णित प्रतिबंधित देशों और क्षेत्रों (जैसे कि, क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया,  एवंयूक्रेन का क्रीमिया, लुहान्सक एवं डोनेट्सक क्षेत्र) से व्यक्ति और संस्थाएं शामिल हैं, जिन्होंने ऐसे देशों के साथ संचार किया है लेकिन साथ ही साथ कुछ निर्दिष्ट देशों या क्षेत्रों के लोग भी शामिल होते हैं।

एसडीएन सूची को अक्सर अपडेट किया जाता है (कभी-कभी, सप्ताह में कई बार) और इंटरनेट पर उपलब्ध है: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists.[1]

OFAC प्रतिबंधों के अधीन इकाइयों में न केवल SDN सूचियों पर नामांकित व्यक्ति शामिल हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 50% या अधिक SDN सूचि  पर एक या एक से अधिक इकाई के स्वामित्व वाले हैं । ऐसे सत्वों को  अवरुद्ध या नामित पक्ष माना जाना चाहिए। इस प्रकार, उन कंपनियों के स्वामित्व ढांचे को जानना महत्वपूर्ण है, जिनके साथ यह निर्धारित करने के लिए लेनदेन आयोजित किए जाते हैं कि क्या कंपनी, हालांकि खुद एसडीएन नहीं है, OFAC के 50 प्रतिशत नियम के आवेदन के द्वारा एसडीएन है। इस विश्लेषण में अक्सर कंपनियों के मालिकों की सूझ-बूझ शामिल होती है। एसडीएन सूची में स्पष्ट रूप से नामित सभी इकाइयों या OFAC के 50 प्रतिशत नियम के लागूकरण द्वारा एसडीएन हैं, जिसमें क्यूबा, ईरान, उत्तर कोरिया,  की सरकारों और सभी ईरानी वित्तीय संस्थानों पर यह अवरुद्ध आवश्यकताएं लागू होती हैं।

[4] OFAC की वेबसाइट http://sdnsearch.ofac.treas.gov/ पर आपको OFAC द्वारा रखी गई SDN सूची एवं अन्य सूचियों के लिए एक सर्च इंजन भी मिल सकती है।

एसडीएन के साथ लेनदेन में शामिल होने को प्रतिबंधित करने के अलावा, ऐसे अमेरिकी व्यक्ति जो किसी भी संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण में आते हैं, जिसमें एसडीएन का कोई हित है, को ऐसी संपत्ति को “अवरुद्ध” या “फ्रीज़” करना होगा (जैसे, अवरुद्ध फंड को अवरुद्ध खातों में डालकर) और इसे 10 कार्य दिवसों के भीतर ओएफएसी की अवरुद्धता को रिपोर्ट करना होगा। यह बैंकिंग संदर्भ में सबसे अधिक प्रासंगिक है, लेकिन यह इसका एक कारण है कि एक विक्रेता (दुनिया में कहीं भी स्थित) पहले से प्रदान की गई सेवाओं या पहले से वितरित माल के लिए भुगतान करने में असमर्थ क्यों है।

किसी भी लेन-देन और शिपिंग माल में प्रवेश करने से पहले, प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी को किसी भी ऐसे लागू प्रतिबंधों की पहचान करने के लिए जो लेनदेन को रोक सकते या प्रतिबंधित कर सकते हैं, पार्टियों (विक्रेताओं और ग्राहकों सहित) और जब लागू हो, एसडीएन अन्य प्रतिबंधित पार्टी सूचियों के खिलाफ उनके मालिकों की एसएसआई सूची सहित स्क्रीनिंग करनी चाहिए। अमेरिकी सरकार ने समेकित स्क्रीनिंग सूची में यू.एस. सूचियों को समुदित किया है जो https://legacy.export.gov/csl-search पर उपलब्ध है। मैनुअल स्क्रीनिंग के एवज में, विभिन्न प्रकार के तृतीय-पक्ष सॉफ़्टवेयर विक्रेता हैं जो स्वचालित स्क्रीनिंग टूल प्रदान कर सकते हैं। बर्कशायर सहायक कंपनियों को उनके जोखिम आकलन के एक हिस्से के रूप में इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस तरह के एक स्क्रीनिंग टूल को इसके लेनदेन की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए प्राप्त करना उचित होगा। स्क्रीनिंग टूल अपनाने वाली प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सभी लागू अमेरिकी सूचियों और उन अन्य देशों की सभी लागू सूचियों को कवर करती है या जिनमें या जिनके साथ सहायक कंपनी व्यवसाय करती है।

प्रत्येक सहायक कंपनी को लेनदेन की स्क्रीनिंग करने के लिए एक जोखिम-आधारित प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और किसी भी लागू होने वाले प्रतिबंधों, पाबंदियों के अनुपालन को सुनिश्चित करना चाहिए। सहायक कंपनियों को इस नीति के भाग IV के अनुपालन की निगरानी करनी चाहिए।

कोई बर्कशायर सहायक कंपनी या कर्मचारी, जिस पर यह अनुभाग V लागू होता है, किसी भी लेन-देन में संलग्न हो सकते हैं, या एसडीएन सूची पर किसी भी व्यक्ति, इकाई, जहाज, विमान या क्रिप्टोमुद्रा वॉलेट के साथ किसी भी गतिविधि का संचालन कर सकते हैं (या कोई व्यक्ति जो अन्यथा अवरुद्ध है), चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और और किसी भी व्यक्ति के साथ संभावित व्यवहारया उनका नाम एसडीएन सूची में होने का संदेह है, उन्हें तत्काल लागू बर्कशायर सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

***रैनसमवेयर का भुगतान।*** ओएफएसी ने मैलवेयर हमलों के संबंध में फिरौती के भुगतान (या अन्य प्रकार के जबरन भुगतान) के संबंध में एक सलाह जारी की है। एसडीएन सूची में कई प्रकार के मैलवेयर से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें ट्राइटन, क्रिप्टोलॉकर, सैमसम, वानस्क्री 2.0 और ड्राइडेक्स से जुड़े व्यक्ति शामिल हैं और साथ ही रैनसमवेयर एक्टरों को वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियां भी, जिसमें SUEX शामिल है। इसके अतिरिक्त, वर्चुअल मुद्रा उद्योग को OFAC प्रतिबंधों का पालन करने के लिए सहायता करने के उद्देश्य हेतु OFAC ने हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
(https://home.treasury.gov/system/files/126/virtual_currency_guidance_brochure.pdf)।

OFAC ने कहा है कि SDN को रैनसमवेयर भुगतान करने की अनुमति देने वाले लाइसेंस के लिए आवेदन अनुमान की नीति के अधीन हैं। दुर्भावनापूर्ण साइबर एक्टरों द्वारा रैनसमवेयर की मांग का सामना करने वाली बर्कशायर सहायक कंपनियों, या जो साइबर रैनसमवेयर मांगों या भुगतानों को कवर करते हुए बीमा या पुनर्बीमा प्रदान करती हैं, को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्यांकन करना चाहिए कि रैनसमवेयर भुगतान की मांग करने वाली पार्टी एसडीएन नहीं है या अन्यथा व्यापार प्रतिबंधों के अधीन नहीं है। जिन परिस्थितियों में एक बर्कशायर की सहायक कंपनी, रैनसमवेयर के भुगतान की मांग, को लेकर पीड़ित हो वहाँ बर्कशायर को उसकी सूचना दी जानी चाहिए और और इन्हें बर्कशायर के साइबर-उल्लंघन रिपोर्टिंग पोर्टल में दर्ज किया जाना चाहिए। रैनसमवेयर या जबरन भुगतान की मांगों को केवल बर्कशायर के वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग एवं सहायक कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व दल से अनुमति मिलने पर ही

सहायक कंपनी द्वारा अदा किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां बर्कशायर सहायक कंपनी ने साइबर रैनसमवेयर मांगों को कवर करते हुए बीमा या पुनर्बीमा प्रदान किया है, ऐसे पुनःबीमा दावों का भुगतान केवल उस लागू लिखित साइबर रैनसमवेयर उचित मूल्यांकन की उन प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के बाद किया जाना चाहिए जो उस सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हैं। ओएफएसी कानून प्रवर्तन की ऐसी मांगों की त्वरित रिपोर्टिंग की भी दृढ़ता से अनुशंसा करता है। रैनसमवेयर भुगतानों की सहूलियत से संबंधित संभाव्य प्रतिबंध के जोखिमों के विषय पर OFAC के नवीनतम दिशा-निर्देशों में OFAC की अपेक्षाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उल्लिखित है जो बताती है कि साइबर सुरक्षा प्रणालियों के अनुकूलन या सुधार के ज़रिए और साथ साथ OFAC एवं कानून प्रवर्तन को अपना सहयोग देकर किसी प्रतिबंधित एक्टर से जबरन भुगतान की मांग के जोखिम को किस प्रकार कम किया जा सकता है, और यह निम्नलिखित लिंक के ज़रिए उपलब्ध है:

(https://home.treasury.gov/system/files/126/ofac_ransomware_advisory.pdf).

साथ ही अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी (सिक्योरिटी एजेंसी) ने भी छोटे-बड़े, सभी संगठनों को अपने रैनसमवेयर आक्रमणों के जोखिम को कम करने और अपनी साइबर सुरक्षा लचीलेपन को सुधारने को प्रोत्साहित किया है और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है www.stopransomware.com जिसमें एकाधिक संघीय सरकारी एजेंसियों ने कई साधन और संसाधन प्रदान किए हैं जिन्हें संगठन अधिक उपयोग कर सकते हैं और साथ ही जान सकते हैं कि रैनसमवेयर कैसे काम करता है, खुद को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, घटनाओं को कैसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए और तकनीकी सहायता का अनुरोध कैसे किया जाना चाहिए।

***सुगमता।***कोई भी बर्कशायर सहायक कंपनी या कर्मचारी, जहाँ कहीं भी स्थित हो, प्रतिबंधों के अधीन, किसी भी प्रतिबंधित देश या व्यक्ति के साथ, किसी भी एसडीएन सहित उपयुक्त लाइसेंस या अन्य प्राधिकरण जारी किए बिना किसी भी लेन-देन की सुविधा नहीं देगा। " सुगमता " "अमेरिकी व्यक्ति द्वारा किसी भी बिना लाइसेंस की कार्रवाई है जो किसी भी व्यक्ति द्वारा [एक प्रतिबंध लक्ष्य] के साथ व्यापार गतिविधि का समर्थन करता है," कुछ संकीर्ण अपवादों के साथ (उदाहरण के लिए, "विशुद्ध रूप से लिपिकीय" प्रकृति की गतिविधियाँ, या "रिपोर्टिंग" प्रकृति जो आगे व्यापार या वित्तीय लेनदेन नहीं करती है")।

उदाहरण के तौर पर, निषिद्ध "सुगमता" की स्थिति उत्पन्न होगी अगर कोई अमेरिकी बर्कशायर सहायक कंपनी या कोई भी अमेरिकी कंपनी दुनिया में कहीं भी:

- इसका मतलब है किसी विदेशी सहायक या सम्बद्ध कंपनी पर लागू अमेरिकी कानून के अंतर्गत किसी वर्जित या प्रतिबंधित पक्ष से कोई प्रश्न या क्वोट जमा करने या बोली लगाने का अनुरोध मिलना।
- किसी ऐसे प्रस्ताव के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाना जिसमें कोई प्रतिबंधित पक्ष या देश शामिल है।
- किसी लेनदेन पर औपचारिक या अनौपचारिक रूप से (*उदा,* बोर्ड का सदस्य होने के नाते) वोट करना, लेनदेन के दस्तावेजों को अनुमोदित, निदेशित, या निष्पादित करना जहाँ वह लेनदेन निषिद्ध होता अगर उसे किसी अमेरिकी व्यक्ति द्वारा या अमेरिका में संचालित किया गया होता।
- किसी विदेशी Berkshire सहयोगी कंपनी को अपने लेनदेन को समर्थित करने के लिए अमेरिकी Berkshire कंपनी के संसाधनों का उपयोग करने देता है (*उदा,* कंप्यूटर सिस्टम, लाइसेंसप्राप्त सॉफ्टवेयर, बैंकिंग संबंध, परिचालन निरीक्षण, प्रबंधन या कानूनी सेवाएं *आदि*) और जहाँ यह लेनदेन निषिद्ध होता अगर इसे किसी अमेरिकी व्यक्ति द्वारा या अमेरिका में संचालित किया गया होता।

अगर आप किसी बर्कशायर विदेशी सहायक कंपनी से कोई ऐसा संचार प्राप्त करते हैं जो किसी ऐसे लेनदेन से संबंधित है जिसे अगर किसी अमेरिकी व्यक्ति द्वारा या अमेरिका में किए जाने पर प्रतिबंधित माना जाता तो उस संचार का जवाब देने या इस प्रकार के लेनदेन के मामले में किसी चर्चा में शामिल होने से पहले कृपया अपनी सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी की सलाह लें।

ऊपर उक्त प्रकार के निषिद्ध फैसिलिटेशन में शायद प्रतिबंधित देशों से धोखेबाज़ सुदूर कर्मियों का ज्ञात फैसिलिटेशन शामिल हो सकता है। नॉर्थ कोरिया से धोखेबाज़ सुदूर कर्मियों के बारे में अधिक चर्चा करने के लिए भाग X देखें।

**गौण प्रतिबंध।** अमेरिकी सरकार "माध्यमिक प्रतिबंध" कार्यक्रमों को भी बनाए रखती है, जो कई मामलों में कानून द्वारा अनिवार्य है, जिसके तहत प्रतिबंधों को उन विदेशी व्यक्तियों पर लगाया जा सकता है या जाना चाहिए जो एसडीएन या अन्य गतिविधियों से जुड़े होते हैं, जो अमेरिकी सुरक्षा या विदेश नीति के विपरीत हैं। माध्यमिक प्रतिबंध उन विदेशी कंपनियों के व्यवसाय को विनियमित करने की कोशिश करते हैं, जिनकी ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए परिणाम लागू करके यू.एस के साथ कोई सांठगांठ नहीं है। ईरान और रूस के प्रतिबंध कार्यक्रमों के संदर्भ में माध्यमिक प्रतिबंध विशेष रूप से प्रचलित हैं, लेकिन कई अन्य प्रतिबंध कार्यक्रमों में भी माध्यमिक प्रतिबंध तत्व हैं। माध्यमिक प्रतिबंधों के तहत, विदेशी कंपनियाँ जो SDN और प्रतिबंधित देशों के साथ व्यापार करती हैं, वे कुछ निश्चित परिणामों के अधीन हो सकती हैं जो यू.एस के साथ व्यापार करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें अमेरिकी वित्तीय प्रणाली तक पहुँच से इनकार करना या विदेशी व्यक्ति का SDN के रूप में पदनाम शामिल है। Berkshire की गैर-अमेरिकी सहायक कंपनियों को खुद को गौण प्रतिबंधों के मामले में सूचित करना चाहिए और SDN के साथ लेनदेन से जुड़े संभाव्य गौण प्रतिबंधों के जोखिम या अन्य लेनदेनों में शामिल होने के परिणामस्वरूप संभवतः उत्पन्न होने वाले गौण प्रतिबंधों के जोखिम पर विचार करना चाहिए।

***ईरान-संबंधित गतिविधियों का प्रकटीकरण।*** 1934 के अमेरिकी प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के अनुभाग 13 के लिए आवश्यक है कि कुछ जारीकर्ता, जो प्रतिभूति और विनिमय आयोग ("एसईसी") के साथ पंजीकृत हों, बर्कशायर सहित, अपने सार्वजनिक फाइलिंग में और एसईसी को अलग रिपोर्ट में खुलासा करें यदि जारीकर्ता या इनका कोई भी सहयोगी जानबूझकर ईरान से संबंधित कुछ निर्दिष्ट गतिविधियों में लगे हुए हैं और जिन्होंने कुछ निर्दिष्ट "निषिद्ध लोगों" के साथ लेनदेन या कार्य किए हैं । इन जारीकर्ताओं के लिए, त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट में, रिपोर्ट द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान होने वाली सभी रिपोर्टिंग योग्य गतिविधियों का प्रकटीकरण शामिल होना चाहिए (*उदाहरण*, वार्षिक रिपोर्ट के लिए, राजकोषीय साल के दौरान) । बर्कशायर की प्रत्येक सहायक कंपनियों की गतिविधियों के बारे में प्रकटीकरण आवश्यक है, जिन्हें कानून के तहत संबद्ध माना जाता है।

ईरान की ऊर्जा क्षेत्र, सैन्य क्षमताओं, मानवाधिकारों के दमन, या कुछ वित्तीय लेनदेन, या ईरानी एसडीएन से संबंधित लोगों सहित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला रिपोर्ट करने योग्य है। रिपोर्टिंग गतिविधियों में अन्य समेत यह शामिल हैं:

- ईरान के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित कुछ गतिविधियाँ, जैसे कि बीमा या पुनर्बीमा प्रदान करना, जो परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को आयात करने की ईरान की क्षमता में योगदान देता है
- ईरान की अस्थिर संख्यायें और प्रकार के उन्नत पारंपरिक हथियारों या सामूहिक विनाश के हथियारों को प्राप्त करने या विकसित करने की ईरान की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कुछ गतिविधियाँ
- ईरान के सरकार के साथ किए बिजनेस के साथ संबंधित कुछ विशिष्ट गतिविधियां
- ईरान के अधिग्रहण या वस्तुओं या प्रौद्योगिकियों के उपयोग के समर्थन में कुछ गतिविधियाँ जिनका उपयोग ईरान के लोगों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के लिए किए जाने की संभावना है।

यदि बर्कशायर सहायक कंपनी के किन्हीं भी कर्मचारियों के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संभावित गतिविधि घटित हुई है, तो उन्हें तत्काल इस मामले की रिपोर्ट बर्कशायर के मुख्य वित्तीय अधिकारी, बार्कशायर के आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशक एवं बार्कशायर के नैतिकता और अनुपालन के वरिष्ठ प्रबंधक को देनी होगी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या गतिविधि अमेरिकी कानून के तहत खुलासा करने के लिए आवश्यक प्रकार की है या नहीं। क्योंकि प्रकटीकरण आवश्यकता के अधीन लेन-देन के लिए कोई भौतिकता सीमा नहीं है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि बर्कशायर को ऐसी किसी भी और सभी गतिविधियों से अवगत कराया जाए, यहां तक कि जो मामूली या आकस्मिक लग सकती हैं।

***अविरत अनुपालन।*** चूंकि आतंकवाद विरोधी और विदेश नीति कार्यक्रम विकसित होते हैं और संबंधित नियम बदलते हैं, अनुमत और निषिद्ध गतिविधियों की प्रकृति और सीमा बदल सकती है; उदाहरण के लिए, अतिरिक्त देश या

व्यक्ति प्रतिबंध कार्यक्रम के अधीन हो सकते हैं, या मौजूदा प्रतिबंधों को हटाया या जा सकता है। इसके अलावा, अतिरिक्त या अलग-अलग आवश्यकताएं बर्कशायर कंपनियों पर लागू हो सकती हैं जो अमेरिकी व्यक्ति नहीं होते हैं या जो अमेरिका के बाहर व्यापार कर रहे हैं। प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी को लागू प्रतिबंधों के कार्यक्रमों और अन्य व्यापार प्रतिबंधों की निगरानी करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसकी नीतियां चालू रहें। बर्कशायर सहायक कंपनी के कर्मचारियों को अपने अनुपालन अधिकारी के साथ परामर्श करना चाहिए ताकि किसी व्यक्ति के साथ किसी अनुबंध या व्यावसायिक संबंध या संभावित देशों या प्रतिबंधित कार्यक्रमों को शामिल करने से पहले संभावित आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि की जा सके। बर्कशायर की सहायक कंपनियों को कम से कम दस वर्षों तक सभी OFAC संबंधित रिकॉर्डों (जिसमें स्क्रीनिंग रिकॉर्ड, लाइसेंस जानकारी आदि) को अपने पास बरकरार रखने चाहिए।

जोखिम आकलनों और अनुपालन के बारे में OFAC की अपेक्षाओं के बारे में मार्गदर्शन
https://home.treasury.gov/system/files/126/framework_ofac_cc.pdf
पर उपलब्ध है।

## VI अन्य प्रतिबंधित लेनदेन

***निर्यात और आयात अनुपालन।*** कई क़ानूनों और विनियमों के माध्यम से, लेकिन यह इन तक सीमित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय यातायात शस्त्र विनियम ("आईटीएआर"), ईएआरऔर शस्त्रों, गोला बारूद का निर्यात और युद्ध के नियमों का क्रियान्वयन, अमेरिकी सीमा शुल्क कानून और विनियमों (जिसे सामूहिक रूप से "अमेरिकी आयात और निर्यात नियंत्रण कानून" कहा जाता है) , अमेरिकी सरकार आयात (स्थायी और अस्थायी) और निर्यात (अस्थायी और स्थायी) को सीधे अमेरिका से या परोक्ष रूप से उत्पादों, सॉफ्टवेयर, और प्रौद्योगिकी/तकनीकी डेटा और विदेशी व्यक्तियों/नागरिकों से संबंधित रक्षा सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से या एक विदेशी देश के माध्यम से नियंत्रित करती है। इसके अलावा, आईटीएआर में अमेरिकी निर्माताओं (प्रोसेसर सहित) और आईटीएआर के अधीन रक्षा संबंधी वस्तुओं के दलालों के लिए पंजीकरण आवश्यकताएं शामिल हैं, भले ही वे कंपनियां अमेरिका से निर्यात न करें। इन विनियमों के तहत अमेरिका में कुछ विशिष्ट विदेशी राष्ट्रिकों के पास किसी भी ऐसी नियंत्रित तकनीकी जानकारी का खुलासा करना निषिद्ध है जिसे निर्यात "माना जा सकता है"।

ईएआर और आईटीएआर को संचालित करने के लिए ज़िम्मेदार एजेंसियों ने भी उन पक्षों की सूचियां प्रकाशित की हैं जिनके साथ विभिन्न निर्यात या पुनःनिर्यात के लेनदेन प्रतिबंधित या दायरे के बाहर हैं (उक्त *कुछ विशिष्ट प्रतिबंधित लोगों, सत्वों और समूहों के साथ लेनदेन* नामक भाग में वर्णित पृष्ठ 12)।

अमेरिकी आयात और निर्यात नियंत्रण कानूनों के साथ-साथ लागू स्थानीय निर्यात और आयात कानूनों का पूरी तरह से पालन करना प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी की नीति है। प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी को यह निर्धारित करने के लिए अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह इन नियमों के अधीन है और यदि ऐसा होता है, तो इसके व्यक्तिगत अनुपालन जोखिमों को संबोधित करने के लिए उचित प्रक्रिया विकसित करें, ख़ास तौर पर जब प्रतिबंधित देशों, इकाइयों, लोगों तक संवेदनशील जानकारी के पहुँचने का जोखिम रहता है।

***अमेरिकी बहिष्कार-विरोधी कानून।*** सभी लागू अमेरिकी विरोधी बहिष्कार कानूनों का पूरी तरह से पालन करना प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी की नीति है। कोई बर्कशायर सहायक कंपनी या उसके कर्मचारी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, इजरायल या किसी अन्य विदेशी के बहिष्कार का समर्थन करता है जिसे अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अगर किसी भी कर्मचारी को इस बात की चिंता है कि क्या कोई लेन-देन अमेरिकी विरोधी नियमों का उल्लंघन करता है, या किसी अन्य देश के बहिष्कार या विरोधी बहिष्कार कानूनों का पालन करता है, उसे अपनी सहायक कंपनी के अनुपालन अधिकारी से परामर्श करना चाहिए और सलाह देने तक

लेन-देन को आगे तक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा, अगर कर्मचारियों को बहिष्कार से संबंधित अनुरोध प्राप्त होता है, तो उन्हें तुरंत अपने अनुपालन अधिकारी को सूचित करना चाहिए।

अमेरिकी बहिष्क़ार-विरोधी कानून अमेरिकी कंपनियों और उनके "वास्तव में नियंत्रित" विदेशी सहयोगियों को प्रतिबंधित करते हैं, उस हद तक जिस तक अमेरिकी वाणिज्य विदेशी बहिष्कार में भाग लेने में शामिल होता है, जो कि अमेरिका प्रतिबंधित नहीं करता है। इसके अलावा, अगर बहिष्कार से संबंधित अनुरोध प्राप्त होता है, तो इसे कैलेंडर तिमाही के अंत के 30 दिनों के भीतर वाणिज्य विभाग को सूचित किया ज ाना चाहिए, जिसमें यह प्राप्त हुआ था। एक गैर-प्रतिबंधी विदेशी बहिष्कार में भाग लेने से नकारात्मक कर परिणाम भी हो सकते हैं।

यद्यपि बहिष्कार विरोधी कानून विदेशी देशों द्वारा लगाए गए सभी गैर-अमेरिकी प्रतिबंधी वाले बहिष्कार पर लागू होते हैं, लेकिन अरब लीग द्वारा इज़राइल का बहिष्कार मुख्य विदेशी आर्थिक बहिष्कार है। जबकि खज़ाना विभाग ने इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, और यमन की पहचान बहिष्कार करने वाले देशों के रूप में की है, साथ ही साथ, अन्य देश भी बहिष्कार अनुरोधों के स्र ोत हो सकते हैं।

## VII. बिचौलियों की सेवाओं का अवरोधन

मध्यस्थों (जैसा पृष्ठ 12 पर वर्णित किया गया है) को संलग्न करने से पहले, प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी मध्यस्थों से संबंधित उचित और संपूर्ण सम्यक तत्परता का लिखित रूप से संचालन करेगी। ऐसी बिचौलियों की सेवाओं को नियोजित करने वाली प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी, प्रस्तुत जोखिमों के लिए लिखित रूप से उचित सम्यक् तत्परता प्रक्रियाओं को विकसित करेगी और इनका रखरखाव करेगी जो सहायक कंपनी के अनुपालन कर्मियों को मध्यस्थों के भागीदारों की प्रतिष्ठा और विदेशी अधिकारियों या विदेशी अधिकारियों के परिवारिक सदस्यों के साथ संबंधों, यदि कोई हो, सहित मध्यस्थों के साझेदारों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन जोखिमों और कोई भी अनुपालन जोखिम "चेतावनियों" के साथ-साथ मध्यस्थों की सहायता की आवश्यकता के लिए व्यावसायिक औचित्य का मूल्यांकन और विचार करने की अनुमति देता है। प्रत्येक बर्कशायर सहायक कंपनी, ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान ही नहीं, बल्कि संबंधों के पूरे जीवनकाल में समय-समय पर बिचौलियों पर नियत परिश्रम का अद्यतन करके बिचौलियों के उपयोग के साथ जुड़े अनुपालन जोखिमों की निगरानी, मूल्यांकन और प्रबंधन में संलग्न होगी। सहायक कंपनियों को कम से कम हर दो सालों में उन मध्यवर्तियों के लिए सम्यक उद्यम को अपडेट करना चाहिए जिनके FCPA (एफसीपीए) अनुपालन का अधिक उच्च आकलित जोखिम है और साथ ही उन्हें कम जोखिम वाले मध्यवर्तियों के लिए एक उचित जोखिम-आधारित समयसीमा निर्धारित करनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस, डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफ़िकेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइज़्ड IT टूल्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

बिचौलियों पर किए गए उचित मूल्यांकन में, कम से कम, मध्यस्थ के मालिकों और प्रबंधन का दस्तावेजित मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए शामिल होगा कि क्या वे किसी अमेरिकी निषिद्ध पक्षों की सूची में सूचीबद्ध होने के कारण प्रभावित हैं, जैसे कि एसडीएन सूची, साथ ही यह भी कि एफसीपीए के तहत विदेशी अधिकारियों के रूप में योग्यता प्राप्त हैं या नहीं। , और इस के साथ ही मध्यस्थ के चरित्र, योग्यता, अनुभव, अखंडता के लिए प्रतिष्ठा और सेवा प्रदान करने की सिद्ध क्षमता का मूल्यांकन भी शामिल होता है जिसके लिए इसे बरकरार रखा जा रहा है। मध्यस्थ के अवरोधन के कारकों में मुआवजे के लिए किसी भी असामान्य अनुरोध और किसी भी असामान्य भुगतान, शिपमेंट या गंतव्य शर्तों के साथ-साथ किसी भी तथ्य, परिस्थितियों या "चेतावनियाँ" की खोज शामिल हैं, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं हैं, और जो कि यह सुझाव दे सकता है कि बिचौलिये का उपयोग बढ़े हुए एफसीपीए, या व्यापार प्रतिबंध अनुपालन जोखिम पैदा कर सकता है। निम्नलिखित कुछ सामान्य चेतावनियों के उदाहरण हैं जो बढ़े हुए अनुपालन जोखिम के साथ जुड़े हैं:

- करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ("CPI") (भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक) में देश की रैंकिंग के आधार पर लेनदेन जिसमें भ्रष्टाचार के बढ़ते जोखिम के लिए जाना जाने वाला देश शामिल होता है।

- एक संदर्भ जांच से बिचौलियों के बैकग्राउंड में खामियों का पता चलता है।
- सम्यक् तत्परता से पता चलता है कि बिचौलिया एक शेल कंपनी है या कि बिचौलियों के ढांचे के बारे में कुछ और अपरंपरागत है।
- एक अपतटीय खाते या अन्य गैर-मानक भुगतान शर्तों के लिए बिचौलिया अनुरोध करता है।
- बिचौलिया स्पष्ट रूप से उस का के योग्य नहीं है या उसके पास उन कार्यों को करने के लिए आवश्यक अनुभव का अभाव है जिनके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है।
- एक सरकारी अधिकारी द्वारा बिचौलिये की सिफारिश की जाती है।
- बिचौलिया आंशिक रूप से सरकारी अधिकारी के स्वामित्व में या नियंत्रित होता है।
- बिचौलिये का सरकारी अधिकारी या सरकारी अधिकारी के रिश्तेदार के साथ एक करीबी व्यक्तिगत परिवार या व्यावसायिक संबंध है, या सरकारी अधिकारियों के लिए बड़े या लगातार राजनीतिक योगदान देता है।
- बिचौलिया अपनी सेवाओं के लिए बाजार राशि से अधिक खर्चा लेता है।
- बिचौलिये का सुझाव है कि व्यापार प्राप्त करने या उसे प्रतिधारित रखने के लिए एक निश्चित सौदे को पक्का करने के लिए एक विशेष राशि आवश्यक हो सकती है।
- बिचौलिया असाधारण, खराब दस्तावेज या अंतिम मिनट के खर्चों की प्रतिपूर्ति का अनुरोध करता है।
- एफ़सीपीए अभ्यावेदन, वारंटियों और प्रतिज्ञापत्रों और संबंधित भ्रष्टाचार विरोधी भाषा में बर्कशायर सहायक कंपनी के साथ समझौते में बिचौलिया विरोध करता है।
- एफ़सीपीए अनुपालन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बिचौलिया विरोध करता है।
- बिचौलिया अपने स्वामित्व का खुलासा करने से इंकार करता है, जिसमें कोई भी लाभकारी या अन्य अप्रत्यक्ष मालिक, प्रिंसिपल, या कर्मचारी शामिल होते हैं, या वे अनुरोध करता है कि उसके मालिकों, प्रिंसिपल या कर्मचारियों की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
- बिचौलिया एक बड़ी आकस्मिकता या सफलता शुल्क का अनुरोध करता है।

किसी भी बिचौलिये के बारे, जिसके बारे में एक सराहनीय जोखिम होता है कि बिचौलिए सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकते हैं या एक एफसीपीए, या व्यापार प्रतिबंध अनुपालन जोखिम पेश कर सकते हैं, बर्कशायर सहायक कंपनियों को भ्रष्टाचार-विरोधी/प्रतिबंध/व्यापार अनुपालन अनुबंध शर्तों के साथ एक लिखित समझौते की आवश्यकता होती है जो प्रस्तुत किए गए जोखिमों और लेखा-परीक्षण के अधिकारों के लिए उपयुक्त होता है और उन्हें व्यापार और भ्रष्टाचार-विरोधी कानूनों के वार्षिक अनुपालन का उचित प्रमाणीकरण निष्पादित करने के लिए बिचौलिये की आवश्यकता होती है, जिसमें एफसीपीए भी शामिल है। अनुपालन के ऐसे प्रमाणपत्रों को सहायक द्वारा प्रतिवर्ष अपडेट और रखरखाव किया जाएगा।

## VIII विलयन और अधिग्रहण संबंधी सम्यक उद्यम

जहाँ कोई विलयन या अधिग्रहण हो वहाँ उचित कदम उठा कर सुनिश्चित किया जाएगा कि जितनी जल्दी संभव हो सके नए अधिगृहीत व्यवसाय में इस नीति को और व्यवसाय को अधिगृहीत करने वाले बर्कशायर सहायक कंपनी की किन्हीं भी अतिरिक्त नीतियों को कार्यांवित किया जाए; और नए अधिगृहीत व्यवसाय के निदेशकों, अफसरों और प्रासंगिक कर्मचारियों के लिए इस नीति के अनुरूप अनुपालन के प्रशिक्षण को संचालित किया जाए। इसके अलावा, अधिग्रहण के बाद, अधिग्रहण करने वाली बर्कशायर सहायक कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि अधिग्रहित कंपनी के व्यक्तिगत संचालनों और अनुपालन जोखिमों का गहन और प्रलेखित मूल्यांकन किया जाए जो इस दस्तावेज़ में चर्चा किए गए अनुपालन जोखिम वाले क्षेत्रों को कैप्चर करें और जो अधिग्रहित कंपनी के लिए लागू होते हों जो इसके व्यावसायिक संचालनों की अद्वितीय प्रकृति और इसके भौगोलिक स्थान का परिणाम है। इस प्रलेखित जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, अधिग्रहण करने वाली बर्कशायर सहायक कंपनी को अतिरिक्त नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करने और उन्हें अपनाने के लिए उपयुक्तता की आवश्यकता होगी ताकि यह प्रभावी रूप से तैयार अनुपालन नीति को बनाए रखे जो कि सहायक कंपनियों के लिए अद्वितीय अनुपालन जोखिमों के अनुरूप हो।

## IX मनी-लॉन्डरिंग (काले धन को वैध बनाना) विरोधी गतिविधियों का अनुपालन

यह बर्कशायर की नीति है कि वह केवल उन्हीं लोगों या संस्थाओं के साथ अपना व्यापार संचालित करेगा जिनकी कानून के अनुपालन के प्रति साझी प्रतिबद्धता है और जिनके धन का एक वैध स्त्रोत है। अमेरिका में, और अन्य सभी देशों में जहाँ बर्कशायर की सहायक कंपनियां अपना व्यापार संचालित करती हैं, बर्कशायर की सहायक कंपनियों के कर्मचारियों को उचित जोखिम-आधारित पद्धतियां अपनानी होंगी ताकि उनके आधार पर वे काले धन को वैध बनाने की चल रही प्रक्रिया को रोक सकें और उनका पता लगा सकें एवं इस प्रकार की गतिविधि से संबंधित संभाव्य आपराधिक दंड और अपनी नेकनामी को पहुँचने वाले जोखिम से खुद को बचा सकें। काले धन को वैध बनाने की प्रक्रिया से जुड़े आपराधिक प्रावधानों के तहत, आम तौर पर ऐसे किन्हीं भी लेनदेनों में शामिल होना अपराध है जहाँ पता हो कि धन किसी ग़ैरकानूनी गतिविधि से आ रहा है। इसी प्रकार, बर्कशायर की सहायक कंपनियों को सभी लोगों एवं संस्थाओं पर उचित सम्यक तत्परता कार्यान्वित करनी होगी ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि वे एक वैध व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा बनने जा रहे हैं।

अगर कुछ बर्कशायर सहायक कंपनियां नियंत्रित क्षेत्रों में काम करती हैं तो उन पर सकारात्मक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्व होंगे, जिसमें शायद बैंकिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन (यानी कि, एसईसी-पंजीकृत निवेश परामर्शदाता), धन सेवाएं, धन संचरण, जुआ/गेमिंग, बीमा एवं रियल एस्टेट शामिल हो सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्य पद्धतियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, ऑडिट्स, एवं संदिग्ध गतिविधियों का सक्रिय निरीक्षण एवं रिपोर्टिंग जैसे मामलों को अमेरिकी संघीय विनियम एवं समरूप विदेशी कानून द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। नियंत्रित क्षेत्रों में या उनके पास काम करने वाली बर्कशायर की सहायक कंपनियों को कानूनी सलाह लेकर निर्धारित करना होगा कि क्या उन्हें इन प्रकार की नीतियों एवं कार्य पद्धतियों को अपनाने की ज़रूरत है। इसमें से ख़ास तौर पर प्रासंगिक है, अमेरिकी ट्रेशरी फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN) द्वारा वर्ष 2024 में कुछ विशिष्ट संघीय विनियमों का संशोधन – जिसके अंतर्गत पहली बार – एसईसी-पंजीकृत निवेश परामर्शदाताओं को "वित्तीय संगठनों" के दायरे में शामिल किया गया जिनसे अब यह कानूनी अपेक्षा की जाएगी कि वे विशिष्ट मनी लॉन्डरिंग विरोधी कार्यक्रमों की स्थापना करें। जिन बर्कशायर की सहायक कंपनियों के संबद्ध परामर्शदाता या ब्रोकर-डीलर्स हैं उन्हें वकील से सलाह लेकर सुनिश्चित करना होगा कि इन विनियमित संस्थाओं के पास उचित अनुपालन कार्यक्रम हों।

## X. नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिम

बर्कशायर की सहायक कंपनियों को यह समझना होगा कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी को उनके द्वारा संचालित किए गए कार्यों में किस प्रकार से तैनात और इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही उन्हें उत्पन्न होने वाले अनूठे जोखिम प्रोफाइल का मूल्यांकन भी करना होगा। इन जोखिमों को संबोधित करने के लिए बर्कशायर की सहायक कंपनियों को उचित नीतियां और पद्धतियां, नियंत्रण, शासन और प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने होंगे। भर्ती नियंत्रण के साथ-साथ उभरती हुई प्रौद्योगिकी से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन के लिए बर्कशायर की सहायक कंपनियों को अपने फ्रेमवर्क की लगातार निगरानी करनी होगी और आवश्यकतानुसार उसे अपडेट करना होगा।

पिछले दशक में, बार्कशायर की सहायक कंपनियों के सहित – कई अमेरिकी कंपनियों ने – विदेशी गुप्तचर सेवाओं, आपराधिक समूहों, हैकटिविस्ट्स और भीतरी लोगों से बढ़ते हुए निपुण साइबर खतरों का सामना किया है। रैनसमवेयर, पहचान की चोरी, और डीपफेक सक्षम धोखाधड़ी सहित यह आक्रमण संरचना, प्रतिष्ठा और कानूनी अनुपालन के लिए एक गंभीर जोखिम है। एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है नॉर्थ कोरिया के आईटी कर्मी जो पहचान चुराकर वैध सुदूर कर्मचारियों या फ्रीलांसरों के रूप में आते हैं एवं भर्ती प्रक्रिया से बचने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स ("वीपीएन") एवं डीपफेक्स का इस्तेमाल करके कंपनियों में घुसते हैं। इन योजनाओं ने नॉर्थ कोरिया के सरकार के लिए सैकड़ों लाखों डॉलर जनित किए हैं और इन्होंने कई सैकड़ों कंपनियों को प्रभावित किया है, जिनमें फॉर्चुन 500 फर्म और साइबर सुरक्षा प्रदाता शामिल हैं। कुछ मामलों में, कंपनी द्वारा जारी उपकरण को अमेरिका में आधारित फैसिलिटेटरों के पास भेजा जाता है जो धोखाधड़ी को सक्षम करने के लिए उसमें सुदूर पहुँच साधन इंस्टॉल

करते हैं, जिसकी वजह से डीओजे अभियोग उत्पन्न हो सकते हैं एवं इससे अधिक शक्तिशाली पहचान और आईटी नियंत्रणों की आवश्यकता पर विशेष रोशनी पड़ती है।

[5] नॉर्थ कोरिया के इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी कर्मियों पर दिशा-निर्देदिशा-निर्देश यहाँ उपलब्ध हैं https://ofac.treasury.gov/media/923126/download?inline or https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2025/06/30/jasper-sleet-north-korean-remote-it-workers-evolving-tactics-to-infiltrate-organizations/

बढ़े हुए खतरे के माहौल को मद्देनज़र रखते हुए, बर्कशायर की सहायक कंपनियों को अवश्य ही एक सशक्त और सहयोगपूर्ण आईटी कार्यबल को विकसित करने के साथ-साथ वर्धित साइबर लचीलेपन और जोखिम की घटौती के ज़रिए महत्वपूर्ण डेटा की तत्परता से सुरक्षा प्रदान  करनी चाहिए। दूरस्थ आईटी कर्मियों को काम पर रखने वाली बर्कशायर की सहायक कंपनियों को कानूनी सलाह लेकर यह सुनिश्चित करना होगा कि धोखेबाज़ आईटी कर्मियों को पहचानने के लिए फ्रीलांस डिवेलपर्स को काम पर रखने से पहले और भुगतान के प्लैटफॉर्म के लिए उचित खतरों के सूचक कार्यान्वित किए गए हैं। इन जोखिमों से बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए बर्कशायर की सहायक कंपनियों को शमन उपाय भी स्थापित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त, बर्कशायर की सहायक कंपनियों को अवश्य ही जोखिम आधारित पद्धति का इस्तेमाल करते हुए सभी कर्मचारियों के लिए इन नियंत्रणों को अपनाना चाहिए, चाहे वे सुदूर, आईटी-संबंधी या अन्यथा हों।

- ऑन-बोर्डिंग के समय आमने-सामने पहचान को सत्यापित करने की आवश्यकता।
- सभी उम्मीदवारों के लिए व्यापक रेफरेंस चेक संचालित करना।
- संविद में ऐसी शर्तों को शामिल करना जिनके तहत तृतीय पक्ष परामर्शदाताओं और ठेकेदारों के लिए लाइव पहचान के सत्यापन की आवश्यकता हो।
- सरकारी पहचान से आगे बढ़कर वर्धित पहचान सत्यापन का इस्तेमाल करना (जैसे कि, सोशल मीडिया की जांचें)
- ज्ञात धोखेबाज़ आईटी कर्मियों के डेटाबेसों में नामों और ईमेलों को क्रॉस-रेफरेंस करना।
- इंटरव्यूओं के दौरान वीडिया कैमरा को चालू रखने की आवश्यकता और असामान्य आचरण को फ्लैग करना।
- गुमनाम या संदिग्ध वीपीएन'ओं से पहुँच को पहचानना और उन्हें ब्लॉक करना।
- जोखिम-आधारित सशर्त पहुँच एवं मल्टीफैक्टर ऑथेनटिकेशन("एमएफए") का कार्यान्वयन
- अपंजीकृत या अज्ञात डिवाइसों को कंपनी के सिस्टमों से जुड़ने से रोकना
- सुदूर और संविदागत आईटी कर्मियों को पहुँच के अधिकार प्रदान करने से पहले उनकी जांच करना और उन्हें प्रबंधित करना
- प्रतिबंधित देशों से पहुँच को ब्लॉक करने के लिए आईपी रोकथाम सक्षम करना
- सुदूर पहुँच के साधनों एवं गैर-अनुमोदित यूएसबी डिवाइसों के इस्तेमाल को ब्लॉक करना और उनकी सूचना देना

## XI. संसाधन

यह नीति विभिन्न प्रकार के क़ानूनों, विनियमों और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों पर चर्चा करती है। प्रत्येक एजेंसी अपने वेबपेज पर उपयोगी दिशानिर्देश और संसाधन प्रदान करती है। निम्नलिखित कुछ अमेरिकी सरकार की वेबसाइटें हैं जिन्हें आप इस नीति में चर्चा किए गए अनुपालन क्षेत्रों की समीक्षा और लागू करने में मददगार पा सकते हैं:

- ***U.S. DOJ's Guidance Document on the Evaluation of Corporate Compliance Programs***
- ***U.S. DOJ's FCPA Resource Guide***
- ***OFAC Sanctions Program Guides by Country***
- ***U.S. BIS' Resources for Establishing an Export Compliance Program***
- ***U.S. Directorate of Defense Trade Control's Resources for Establishing an Effective ITAR Compliance Program***

उपरोक्त लिंकों के माध्यम से OFAC, BIS और DDTC से नियमित ईमेल अपडेट्स के लिए साइन-अप करना भी संभव है। बर्कशायर सहायक कंपनियों को इन और अन्य संसाधनों की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उन नियंत्रणों से परिचित हैं जो उनके व्यवसाय पर लागू होते हैं और कानून और विनियमन में परिवर्तन के साथ चालू रहते हैं।